



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112020-223040  
CG-DL-E-11112020-223040

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]  
No. 571]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2020/कार्तिक 19, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020/KARTIKA 19, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

**सा.का.नि. 695 (अ).**—केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में,—**

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘(खक) “इलैक्ट्रॉनिक रूप” का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में है;’

(ii) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘(च) “विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाता” से अधिनियम की धारा 17 में निर्दिष्ट विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाता अभिप्रेत है;’।

3. उक्त नियम के नियम 3 को उसके उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(2) उपनियम (1) के खंड (v) और खंड (vi) के अधीन विनिर्दिष्ट संगठनों को राजनैतिक प्रकृति के संगठन के रूप में समझा जाएगा, यदि वे, यथास्थिति, सक्रिय राजनीति या दलीय राजनीति में भाग लेते हैं।”।

4. उक्त नियम के नियम 6 में, “इसकी सूचना प्ररूप एफ.सी.-1 में केंद्रीय सरकार को ब्यौरा इलैक्ट्रानिक रूप से आनलाइन अपलोड करके देगा।” शब्दों के स्थान पर, “उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदायों के बारे में इलैक्ट्रानिक रूप में एफ.सी.-1 में केंद्रीय सरकार को सूचना देगा।” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 7 के उपनियम (1) में, “विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए प्ररूप एफ.सी.-2 में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा इलैक्ट्रानिक रूप में आनलाइन प्राप्त करेगा।” शब्दों के स्थान पर, “विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्ररूप एफ.सी.-2 में केंद्रीय सरकार को इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदन करेगा।” शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम के नियम 9 में,--

(i) उपनियम (1) में,--

(क) खंड (क) में, “इलैक्ट्रानिकली ऑनलाइन” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “इलैक्ट्रानिक रूप में” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(घ) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाता रखेगा।”;

(ग) खंड (ड) में, “इलैक्ट्रानिकली आनलाइन” शब्दों के स्थान पर, “इलैक्ट्रानिक रूप में” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(च) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की वांछा करने वाला व्यक्ति, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात्:--

(i) यह तीन वर्ष के लिए अस्तित्व में होगा और उसने गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सोसाइटी के फायदे के लिए अपनी मुख्य गतिविधियों पर न्यूनतम पंद्रह लाख रुपए की रकम खर्च की है:

परंतु केंद्रीय सरकार, आपवादिक मामलों या उन मामलों में, जहां किसी व्यक्ति पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का नियंत्रण है, इन शर्तों का अधित्याग कर सकेगी;

(ii) यदि व्यक्ति, गत तीन वर्षों के दौरान अपने खर्च की संगणना में भूमि, भवन, अन्य स्थायी संरचनाओं, यानों, उपस्कर जैसी आस्तियों में अपने विद्यमान पूंजी विनिधान को सम्मिलित करवाना चाहता है तो मुख्य कृत्यकारी एक वचन देगा कि आस्तियां अबसे आगे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता तक व्यक्ति में निहित हो जाएंगी और उन्हें केवल अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण के इसके प्रमाणपत्र की वैधता के वैध रहने तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए दूसरे काम में नहीं लगाई जाएगी।”;

(ii) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“(1क) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व, उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की वांछा करने के लिए किए गए प्रत्येक ऐसे आवेदन पर, किंतु जिसका निपटारा नहीं किया गया है, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाते के ब्यौरे प्रस्तुत करने के पश्चात् विचार किया जाएगा।”;

(iii) उपनियम (2) में,--

(क) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(घ) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाता रखेगा।”;

(ख) खंड (ड) में, “इलैक्ट्रानिकली ऑनलाइन” शब्दों के स्थान पर, “इलैक्ट्रानिक रूप में” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(च) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के खंड (ग) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट दाता से विनिर्दिष्ट रकम की प्राप्ति के लिए पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, निम्नलिखित मानदंड को पूरा करेगा, अर्थात्:--

(i) दाता से विनिर्दिष्ट प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करना, जिसमें विदेशी अभिदाय की रकम और वह प्रयोजन, जिसके लिए इसे दिए जाने के लिए प्रस्थापना की गई है, दर्शाया गया है;

(ii) भारतीय प्राप्तिकर्ता व्यक्तियों और ऐसे विदेशी दाता संगठनों के लिए, जिसमें एक समान सदस्य हैं, व्यक्ति को, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पूर्व अनुज्ञा प्रदान की जाएगी, अर्थात्:--

(क) प्राप्तिकर्ता व्यक्ति का मुख्य कृत्यकारी दाता संगठन का भाग नहीं होगा ;

(ख) व्यक्ति के शासी निकाय के पचहत्तर प्रतिशत पदाधिकारी या सदस्य, विदेशी दाता संगठन के सदस्य या कर्मचारी नहीं होंगे;

(ग) ऐसे विदेशी दाता संगठन की दशा में, जो एकल व्यष्टि है, वह व्यष्टि प्राप्तिकर्ता व्यक्ति का मुख्य कृत्यकारी या पदाधिकारी नहीं होगा ; और

(घ) एकल विदेशी दाता संगठन की दशा में, प्राप्तिकर्ता व्यक्ति के शासी निकाय के पचहत्तर प्रतिशत पदाधिकारी या सदस्य, दाता के पारिवारिक सदस्य या निकट नातेदार नहीं होंगे।”;

(iv) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“(2क) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व, उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए किए गए प्रत्येक ऐसे आवेदन पर, किंतु जिसका निपटारा नहीं किया गया है, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाते के ब्यौरे प्रस्तुत करने के पश्चात् विचार किया जाएगा।”;

(v) उपनियम (4) में,--

(अ) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(क) पूर्व अनुज्ञा प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन के साथ, केवल पांच हजार रुपए की फीस संलग्न होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संदाय पद्धति के माध्यम से संदत्त की जाएगी।”;

(आ) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन के साथ, केवल दस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संदाय पद्धति के माध्यम से संदत्त की जाएगी।”;

(इ) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियम में, नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(9क) पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन में, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति के लिए अनुज्ञा—यदि नियम 9 के उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन के अंतिम निपटारे की तारीख को विदेशी अभिदाय का मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है तो, केंद्रीय सरकार, ऐसी किस्तों में, जो वह ठीक समझे, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति को अनुज्ञात कर सकेगी :

परंतु दूसरी और पश्चातवर्ती किस्त, पूर्ववर्ती किस्त में प्राप्त विदेशी अभिदाय के पचहत्तर प्रतिशत के उपयोग किए जाने के सबूत को प्रस्तुत करने के पश्चात् और विदेशी अभिदाय के उपयोग की फील्ड जांच करने के पश्चात् जारी की जाएगी।”।

8. उक्त नियम में, नियम 10 को उसके उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) अधिनियम की धारा 14क के अधीन अभ्यर्पित प्रमाणपत्र की वैधता, किए गए अनुरोध की केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति की तारीख को समाप्त हुई समझी जाएगी।”

9. उक्त नियम के नियम 12 में,--

(i) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए, आवेदन केंद्रीय सरकार को, इलैक्ट्रॉनिक रूप में, प्ररूप एफ.सी.-3ग में किया जाएगा, जिसके साथ, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र 'कक' में प्रत्येक पदाधिकारी, मुख्य कृत्यकारी और सदस्य द्वारा निष्पादित शपथपत्र लगा होगा।”;

(ii) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2क) अधिनियम की धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाता खोलेगा और रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के अपने आवेदन में खाते के व्यौरों का उल्लेख करेगा।

(2ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व, उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए किए गए प्रत्येक ऐसे आवेदन पर, किंतु जिसका निपटारा नहीं किया गया है, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाते के व्यौरों प्रस्तुत करने के पश्चात् विचार किया जाएगा।”;

(iii) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए किए आवेदन के साथ केवल पांच हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा संदत्त पद्धति के माध्यम से संदत्त की जाएगी।”

(iv) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ऐसा कोई व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र अस्तित्वहीन हो गया है, विदेशी अभिदाय को तब तक प्राप्त नहीं करेगा या उसका उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक प्रमाणपत्र को नवीकृत नहीं कर दिया जाता है।”

(v) उपनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“यदि रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की समाप्ति से पूर्व प्राप्त नहीं होता है या आवेदन के साथ अपेक्षित फीस संलग्न नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण प्रदान करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पूरे होने की तारीख से समाप्त हुई समझी जाएगी।

**टिप्पण 1 :** 1 जनवरी, 2012 को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र 31 दिसम्बर, 2016 तक वैध होगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए अनुरोध 30 जून, 2016 के पश्चात् और 31 दिसम्बर, 2016 तक अपेक्षित फीस के साथ संलग्न इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

**टिप्पण 2 :** यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जाता है या इसके साथ नवीकरण फीस संलग्न नहीं है तो 1 जनवरी, 2012 को जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता 31 दिसम्बर, 2016 के पश्चात् समाप्त हुए समझी जाएगी और आवेदक विदेशी अभिदाय तब तक प्राप्त नहीं करेगा या उसका उपयोग तब तक नहीं करेगा, जब तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण नहीं कर दिया जाता है।”

(vi) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6क) किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपनियम (6) के अधीन समाप्त हुआ समझा गया है, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाते में और उसके उपयोग खाते में अनुपयोजित पड़े हुए विदेशी अभिदाय की रकम तथा विदेशी अभिदाय के कारण सृजित आस्तियां, यदि कोई हों, अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी में तब तक निहित होंगी, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रमाणपत्र नवीकृत नहीं कर दिया जाता है या नया रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं कर दिया जाता है।”

10. उक्त नियम में, नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“15. ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में विदेशी अभिदाय की अभिरक्षा जिसका प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है – यदि ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जिसने धारा 17 के अधीन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खाता खोला है, रद्द कर दिया जाता है तो उस खाते में अनुपयोजित पड़े हुए विदेशी अभिदाय की रकम अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी में निहित हो जाएगी।”।

11. उक्त नियम के उपनियम (15) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“15क. प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक अभ्यर्पण – ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, उस अधिनियम की धारा 14क के निबंधनानुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए प्ररूप एफसी-7 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन कर सकेगा।”।

12. उक्त नियम के नियम 17 के उपनियम (1) में, – “इलेक्ट्रॉनिकली ऑन लाइन” शब्दों के स्थान पर, “इलेक्ट्रॉनिक रूप में” शब्द रखे जाएंगे।

13. उक्त नियम के नियम 17क में, -

(i) आरंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या धारा 11 के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है, निम्नलिखित में किसी परिवर्तन के बारे में पंद्रह दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना देगा, अर्थात्:-”;

(ii) खंड (iv) के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) प्ररूप एफसी-6ड में, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या पूर्व अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण को प्रदान करने के लिए आवेदन में उल्लिखित पदाधिकारी या मुख्य कृत्यकारी या सदस्य।”;

(iii) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु परिवर्तन केंद्रीय सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा।”।

14. उक्त नियम के नियम 18 में, “प्ररूप एफसी-1 में” शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात्, “इलेक्ट्रॉनिक रूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

15. उक्त नियम में, नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“20. पुनरीक्षण – अधिनियम की धारा 32 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन सादे कागज पर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को किया जाएगा और इसके साथ केवल तीन हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संदाय पद्धति के माध्यम से संदत्त की जाएगी।”।

16. उक्त नियम में, नियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“21. अपराध का प्रशमन – धारा 41 के अधीन अपराध के प्रशमन के लिए कोई आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को किया जा सकेगा और इसके साथ केवल तीन हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संदाय पद्धति के माध्यम से संदत्त की जाएगी।”।

17. उक्त नियम के नियम 23 में, “रजिस्टर्ड डाक द्वारा” शब्दों के पश्चात्, “या इलेक्ट्रॉनिक रूप में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. उक्त नियम के नियम 24 का लोप किया जाएगा।

19. उक्त नियम में प्ररूपों के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“प्ररूप एफ.सी.-1

[नियम 6, 17

और 18 देखें]

सचिव, भारत सरकार,

गृह मंत्रालय,

विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए.स्कंध)

नई दिल्ली-110002

विषय: [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 21] के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा रिश्तेदार से उपहार के रूप में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने/किसी प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन के लिए वस्तुओं/प्रतिभूतियों के रूप में विदेशी अभिदाय प्राप्ति की सूचना केंद्रीय सरकार को देना :

महोदय,

मैं/हम(व्यक्ति/संगम का नाम).....व्यष्टि/व्यक्ति/संगम/कम्पनी अधिनियम,1956/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी के रूप में निम्नलिखित के संबंध में सूचना देता हूं:

रिश्तेदार से उपहार के रूप में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति	हां/नहीं
विदेशी अभिदाय (वस्तुएं) खाता	हां/नहीं
विदेशी अभिदाय (प्रतिभूति) खाता	हां/नहीं
निर्वाचन के लिए किसी प्रत्याशी द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति	हां/नहीं

**भाग-क**

(रिश्तेदार से उपहार के रूप में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना देने वाले आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. प्राप्तकर्ता का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
2. जन्म तारीख :
3. पिता/पति/पत्नी का नाम:
4. प्राप्तकर्ता का संपर्क संबंधी विवरण:
  - (क) पता :
  - (ख) एसटीडी कोड सहित टेलीफोन और मोबाइल नं.:
  - (ग) ई-मेल पता:
5. प्राप्तकर्ता का भारत में स्थायी खाता संख्या (पैन) नम्बर :
6. प्राप्तकर्ता की भारत में आधार संख्या :
7. प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम, यदि किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये या समतुल्य से अधिक है:
8. बैंक विवरण सहित बैंक ड्राफ्ट संख्या या टेलीग्राफिक अंतरण या अन्य सम्प्रेषण :
9. रिश्तेदार के ब्यौरे :
  - (क) नाम:
  - (ख) राष्ट्रियता:

- (ग) किस देश में निवास करता है:
- (घ) ई-मेल पता:
- (ङ) पासपोर्ट नम्बर:
- (च) प्राप्तकर्ता के साथ संबंध:

## घोषणा

मैं/हम(व्यक्ति/संगम का नाम)..... यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त विशिष्टियां सत्य एवं सही हैं।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम, स्पष्ट अक्षरों में)

## भाग-ख

(विदेशी अभिदाय (वस्तुएं) खाता/विदेशी अभिदाय (प्रतिभूति) खाता के बारे में सूचना देने वाले आवेदक द्वारा भरा जाए)

## 1. आवेदक के ब्यौरे:

- (i) पूरा नाम:
- (ii) संपर्क संबंधी ब्यौरे:
- (क) पता:
- (ख) टेलीफोन नं.(एसटीडी कोड सहित):
- (ग) अधिकृत ई-मेल पता:
- (iii) एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा संख्या और तारीख, यदि कोई हो:
- (iv) व्यक्ति/ संगम का पैन (स्थायी खाता सं.):
- (v) प्राप्तकर्ता की भारत में आधार संख्या :

## 2. वस्तुओं के ब्यौरे

तारीख	वस्तु(ओं) का नाम	विवरण	जिस व्यक्ति से प्राप्त की है, उसका नाम और पता	उद्देश्य	मात्रा	अनुमानित मूल्य (रु.)	उपयोग/निपटान की रीति (निपटान किए जाने पर किसे दी गई)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

## 3. प्रतिभूतियों के ब्यौरे

तारीख	किस प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त की है	जिस व्यक्ति से प्राप्त की है, उसका नाम और पता	अभिहित मूल्य (रु.)	बाजार मूल्य (रु.)	भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञा के ब्यौरे	उपयोग/निपटान की रीति (निपटान किए जाने पर किसे दी गई)
1	2	3	4	5	6	7

## घोषणा

मैं/हम(व्यक्ति/संगम का नाम)..... यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई विशिष्टियां सत्य एवं सही हैं।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में)

कार्यालय मुहर

## भाग-ग

[विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 21 के अधीन (निर्वाचन के लिए किसी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की सूचना केंद्रीय सरकार को देने के लिए भरा जाए) ]

1. पूरा नाम:
2. जन्म तारीख :
3. पिता/पति-पत्नी का नाम :
4. संपर्क ब्यौरे:
  - (क) पता :
  - (ख) ई-मेल पता:
  - (ग) टेलीफोन सं. और मोबाइल नं. (एसटीडी कोड सहित) :
5. प्राप्तकर्ता की भारत में आधार संख्या :
6. वह तारीख जिसको विधान-मंडल के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्देशित किया गया है और विधान-मंडल की विशिष्टियां : (अधिनियम की धारा 21 देखें)
7. वह तारीख जिसको निर्वाचन के लिए प्रत्याशी के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्देशित किया गया है उस तारीख से ठीक पहले के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्यौरे:

नकद/वस्तु/प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त विदेशी अभिदाय	मूल्य (रु.)	उद्देश्य	दाता का नाम, पता और ई-मेल पता	व्यष्टिक दाता की राष्ट्रियता	दाता के साथ संबंध	उपयोग के ब्यौरे
1	2	3	4	5	6	7

## घोषणा

मैं/हम(व्यक्ति/संगम का नाम)..... यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त विशिष्टियां सत्य एवं सही हैं।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम स्पष्ट अक्षरों में)



## प्ररूप एफ.सी.-2

[नियम 7 का उपनियम (1) देखें]

सचिव, भारत सरकार,

गृह मंत्रालय,

विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध),

नई दिल्ली-110002

विषय: विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने हेतु केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन।

[टिप्पण: आकस्मिक चिकित्सा सहायता स्थिति की दशा में लाभ उठाए गए विदेशी आतिथ्य के संबंध में ऐसे विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने के एक मास के भीतर सूचना प्ररूप एफ.सी.-2 में दिए गए पते पर सचिव, गृह मंत्रालय को सादे कागज पर सूचना दी जानी चाहिए।]

1. पूरा नाम:
2. जन्म की तारीख :
3. पिता/पति का नाम :
4. पैन संख्या:
5. आधार संख्या :
6. संपर्क ब्यौरे:

(क) पता:

(ख) एसटीडी कोड सहित टेलीफोन और मोबाइल नं.:

(ग) ई-मेल पता:

7. पासपोर्ट के ब्यौरे(यदि पहले से है) :

8. प्रास्थिति:

(क) विधान-मंडल का सदस्य (ख) किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी (ग) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (घ) सरकारी कर्मचारी (ङ.) सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम अथवा किसी निकाय का कर्मचारी:

9. प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित आतिथ्य के ब्यौरे :

शहरों/देशों का नाम जिनके लिए आतिथ्य स्वीकार किया जाना है	ठहरने की अवधि कब से/ कब तक	यात्रा का उद्देश्य	स्वीकार किए जाने वाले आतिथ्य का स्वरूप		स्वीकार किए जाने वाले आतिथ्य की अवधि	आतिथ्य पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय	टिप्पणियां
			नकदी के रूप में	वस्तु के रूप में			
1	2	3	4	5	6	7	8

10. पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकार किया गया आतिथ्य: [हां/नहीं]

(क) यदि हां, तो उसके ब्यौरे:

शहरों/देशों का नाम जिनके लिए आतिथ्य स्वीकार किया गया था	ठहरने की अवधि कब से/ कब तक	यात्रा का उद्देश्य	स्वीकार किए जाने वाले आतिथ्य का स्वरूप		स्वीकार किए गए आतिथ्य की अवधि	आतिथ्य पर किया गया अनुमानित व्यय (रु.)	क्या गृह मंत्रालय से अनुमति ली गयी थी (हां/नहीं)	टिप्पणियां
			नकदी के रूप में	वस्तु के रूप में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. क्या आवेदक को विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति प्रदान करने से कभी इंकार किया गया था, यदि हां, तो उसके ब्यौरे :

12. मेजबान(नों) की विशिष्टियां :

मेजबान का प्रकार- व्यष्टिक/ संगठन	पूरा नाम	राष्ट्रीयता/ पासपोर्ट संख्या	व्यवसाय	पता	ई-मेल पता	एसटीडी कोड सहित टेलीफोन ; मोबाइल नं.
1	2	3	4	5	6	7

13. आतिथ्य प्रदान करने वाले मेजबान या विदेशी स्रोत के साथ संबंध/संपर्क की प्रकृति:

14. प्रदान किए जाने वाले आतिथ्य के ब्यौरे के बारे में मेजबान की ओर से पत्र और जिस संगठन से आवेदक संबंध रखता है उसकी ओर से सिफारिश पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

#### घोषणा और वचनबंध

मैं/हम(व्यक्ति/संगम का नाम)..... यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त विशिष्टियां सत्य एवं सही हैं।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम, स्पष्ट अक्षरों में)

#### प्ररूप एफ.सी.-3 क

[नियम 9 का उपनियम (1) (क) देखें]

सं. \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

दर्पण आईडी.....

सचिव, भारत सरकार,

गृह मंत्रालय,

विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध),

नई दिल्ली-110002



							के साथ संबंध	टेलीफोन नं.: मोबाइल नं.:
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ख) यदि उपर्युक्त में कोई भी विदेशी (पीआईओ/ओसीआई कार्ड धारक सहित) हो तो, उसके ब्यौरे:

नाम	जन्म की तारीख और स्थान	पासपोर्ट संख्या	विदेश का पता	क्या भारतीय मूल का व्यक्ति है	पीआईओ/ओसीआई कार्ड संख्या यदि कोई हो, तो उसकी संख्या	यदि भारत के निवासी है, तो वह तारीख जब से भारत में रह रहे हैं
1	2	3	4	5	6	7

7. संदत्त की गई फीस की रकम (रु.):

8. क्या व्यक्ति/संगम का कोई वर्तमान पदाधिकारी या निदेशक या अन्य मुख्य कृत्यकारी अपने पदीय कृत्यों के निर्वहन में या निजी आचरण में निम्नलिखित से संबंधित रहा है :

(क) न्यायालय द्वारा कभी दोषसिद्ध ठहराया गया है:

(ख) उसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है:

(ग) व्यक्ति/संगम की निधियों या विगत में किसी अन्य व्यक्ति/संगम की निधियों के अपयोजन या दुरुपयोग का दोषी पाया गया है:

(घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है:

(ङ) किसी अन्य व्यक्ति/संगम का वर्तमान में मुख्य कृत्यकारी है:

(च) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति/संगम का वर्तमान मुख्य कृत्यकारी है जिसके विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 या धारा 14 के अधीन कोई आदेश पारित हुआ हो:

टिप्पण: उपर्युक्त (क) से (च) तक किसी का उत्तर यदि “हां” है तो, मामले का पूरा विवरण दिया जाए।

9. क्या आवेदक व्यक्ति/संगम:

(क) विदेश स्थित संगठन या अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत या पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर चुके किसी अन्य व्यक्ति/संगम की शाखा/इकाई/सहयोगी है। यदि हां, तो व्यक्ति/संगम का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या/पूर्व अनुज्ञा संख्या और तारीख बताएं:

(ख) अधिनियम की धारा 10 लागू होती है, और यदि हां तो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अधीन पारित आदेश के ब्यौरे दें:

(ग) अधिनियम की धारा 9 के खंड (घ) के निबंधनानुसार केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। यदि हां, तो सुसंगत आदेश की संख्या एवं तारीख:

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49)/ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के उपबंधों के अनुसार पहले भी कार्यवाही की जा चुकी है, यदि हां तो, उसका ब्यौरे दें:

10. विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट “एफसीआरए खाते” के ब्यौरे :

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भारतीय स्टेट बैंक	नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001		एसबीआईएन 0000691		
कोई अन्य “एफसीआरए खाता” यदि कोई हो					

11. (i) (क) यदि विगत में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है तो, स्वीकृति की संख्या और तारीख:

(ख) इसके संबंधित वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की तारीख:

(ii) क्या:

(क) व्यक्ति/संगम ने विगत में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। यदि हां, तो कृपया पूर्ण विशिष्टियां दें:

(ख) उक्त उल्लंघन को केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ/प्रशमित कर दिया गया है, यदि हां तो, सुसंगत आदेश की संख्या और तारीख बताएं:

(ग) व्यक्ति/संगम को विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरे दें:

12. क्या :

(i) व्यक्ति/संगम ने विगत में कभी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) या विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था, यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें:

(ii) व्यक्ति/संगम ने विगत में कभी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49)/ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें:

(iii) व्यक्ति/संगम का घनिष्ठ संबंध किसी ऐसी अन्य व्यक्ति/संगमों या उनकी इकाई या शाखा से है जिन्हें:

(क) रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा देने से इन्कार किया गया हो:

(ख) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध किया गया हो:

(ग) निलम्बित किया गया हो या अथवा जिनका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया हो:

(घ) यदि (क) से (ग) तक किसी का भी उत्तर 'हां' है, तो कृपया इसकी पूरी विशिष्टियां दें:

(iv) व्यक्ति/संगम विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन पहले ही रजिस्ट्रीकृत थी तथा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है/समाप्त कर दिया गया समझा गया है, यदि हां, तो इसके ब्यौरे दें:

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्या: \_\_\_\_\_

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख : \_\_\_\_\_

(ग) प्रस्तुत की गई वार्षिक विवरणी (वर्षवार):

भवदीय,

[मुख्य कृत्यकारी का नाम]

[(चैयर पर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का नाम स्पष्ट अक्षरों में]

(व्यक्ति/संगम की मुहर)

### घोषणा एवं वचन बंध

(क) मैं/(व्यक्ति/संगम का नाम) हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है;

(ख) मैं/हम (व्यक्ति संगम का नाम) ..... वचन देता हूँ/दिते हैं कि विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और इसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के किसी उपबंध और नियमों, समय-समय पर तद्विनी जारी की गई अधिसूचना या आदेश का उल्लंघन नहीं होगा ; और

(ग) मैं/हम (व्यक्ति/संगम का नाम) ----- यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि पदाधिकारी और मुख्य कृत्यकारी तथा सदस्य विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 12 की उपधारा (4) में अधिकथित पूर्ण पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और प्रोफार्मा "कक" में प्रत्येक पदाधिकारी तथा मुख्य कृत्यकारी और सदस्य द्वारा प्रोफार्मा "कक" में निष्पादित शपथपत्र को इस आवेदन प्ररूप के साथ अपलोड कर दिया है।

स्थान:

तारीख:

[मुख्य कृत्यकारी का नाम]

[(चेयर पर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का नाम स्पष्ट अक्षरों में]

(संगठन/व्यक्ति/संगम की मुहर)

**टिप्पण:** रजिस्ट्रीकरण के इच्छुक आवेदक को भी पिछले तीन वर्षों का व्यक्ति/संगम के खातों का लेखा-परीक्षित विवरण और क्रियाकलाप की रिपोर्ट संलग्न करें।

### प्ररूप एफ.सी.-3ख

#### [नियम 9 का उपनियम (1) का खंड (क) देखें]

सं. \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

दर्पण आईडी.....

सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय,

विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध),

नई दिल्ली-110002

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, (2010 का 42) की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले व्यक्ति/संगम द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की 'पूर्व अनुज्ञा' के लिए आवेदन:

महोदय,

मैं/हम (व्यक्ति/संगम का नाम) ..... व्यक्ति/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/ व्यक्ति/संगम /कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी के रूप में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं और अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए पूर्व अनुज्ञा हेतु आवेदन करता हूँ:

1. आवेदक/ व्यक्ति/संगम के ब्यौरे:

(क) पूरा नाम :

(ख) पता :

(ग) व्यक्ति/संगम का टेलिफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) :

(घ) संगम का ई-मेल पता :

(ङ) सरकारी वेबसाइट का पता, यदि कोई है :

(च) मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन और मोबाइल नं. (एसटीडी कोड सहित) :

2. रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे:

(क) अधिनियम का नाम अर्थात् सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 आदि जिसके अधीन व्यक्ति/संगम रजिस्ट्रीकृत है:

(ख) रजिस्ट्रीकरण की संख्या, तारीख और स्थान:

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए):

(ग) व्यक्ति/संगम का पैन (स्थाई खाता संख्या):

3. व्यक्ति/संगम का स्वरूप:

(क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षिक (ङ) सामाजिक

टिप्पण: यदि धार्मिक संगम है तो उल्लेख करें कि किस से संबंधित है, (क) हिन्दू (ख) सिक्ख (ग) मुस्लिम (घ) ईसाई (ङ) बौद्ध (च) अन्य

4. व्यक्ति/संगम के मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य :

(व्यक्ति/संगम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को दर्शाने वाले व्यक्ति/संगम के ज्ञापन और/या व्यक्ति/संगम के अनुच्छेदों के संगत पृष्ठों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :

5(क). व्यक्ति/संगम के सभी पदाधिकारियों या निदेशकों या अन्य मुख्य कृत्यकारियों के ब्यौरे:

नाम	पिता/पति या पत्नी का नाम	राष्ट्रीयता	आधार संख्या	पैन संख्या	व्यवसाय	व्यक्ति/संगम में पदाभिधान	कार्यकारी परिषद /शासकीय निकाय/पदाधिकारियों के अन्य सदस्य(यों) के साथ संबंध	संपर्क ब्योरा: कार्यालय का पता; आवासीय पता; ई-मेल पता; टेलिफोन नं.; मोबाइल नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ख) यदि उपर्युक्त में से कोई विदेशी है (पीआईओ/ओसीआई कार्डधारक सहित) तो उसका ब्योरा:

नाम	जन्म की तारीख और स्थान	पासपोर्ट संख्या	विदेश में पता	क्या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं	पीआईओ/ओसीआई कार्ड संख्या, यदि कोई हो	यदि भारत के निवासी हैं, तो वह तारीख जब से भारत में रह रहे हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

6. संदत्त की गई फीस की रकम (रु.) :

7. क्या व्यक्ति/संगम का कोई वर्तमान पदाधिकारियों या निदेशक या मुख्य कृत्यकारी अपने शासकीय कृत्यों के निर्वहन में या निजी आचरण में निम्नलिखित से संबंधित रहा है:

(क) न्यायालय द्वारा कभी दोषसिद्ध ठहराया गया है:

(ख) उसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है:

(ग) व्यक्ति/संगम की निधियों या विगत में किसी अन्य व्यक्ति/संगम की निधियों के अपयोजन या दुरुपयोग का दोषी पाया गया है:

(घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है:

(ड) किसी अन्य व्यक्ति/संगम का वर्तमान मुख्य कृत्यकारी है:

(च) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति/संगम का वर्तमान मुख्य कृत्यकारी है जिसके विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 या 14 के अधीन कोई आदेश पारित हुआ हो:

**टिप्पण:** यदि उपर्युक्त (क) से (च) में से किसी का भी उत्तर “हां” में है, तो मामले का पूरा ब्यौरा दिया जाए:

8. क्या आवेदक व्यक्ति/संगम :

(क) विदेश स्थित संगठन या किसी अन्य व्यक्ति/संगम या अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत या पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर चुके किसी संगम की शाखा/इकाई/सहयोगी है। यदि हां, तो संगठन का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या/ पूर्व अनुज्ञा की संख्या और तारीख प्रस्तुत करें:

(ख) अधिनियम की धारा 10 लागू होती हो, यदि हां तो अधिनियम की धारा 11 के खंड (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों का ब्योरा दें:

(ग) अधिनियम की धारा 9 के खंड (घ) के निबंधनानुसार में केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने संबंधी निर्देश मिल चुके हैं। यदि हां, तो संगत आदेश की संख्या एवं तारीख:

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) या विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के उपबंधों के अनुसार पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है यदि हां, तो उसका ब्यौरे दें :

9. विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए एफसीआरए बैंक खाते के ब्यौरे:

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भारतीय स्टेट बैंक	नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-10001		एसबीआईएन 0000691		
अन्य “एफसी आर ए खाते” यदि कोई हो					

10. (i) (क) यदि विगत में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व अनुज्ञा दी गई है, तो इसकी संख्या और मंजूरी की तारीख:

(ख) इसके वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की तारीख:

(ii) क्या:

(क) व्यक्ति/संगम ने विगत में पूर्व अनुज्ञा के बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। यदि हां, तो इसकी पूरी विशिष्टियां दें :

(ख) उक्त उल्लंघन को केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ/प्रशमन किया गया है, यदि हां, तो सुसंगत आदेश की संख्या और तारीख :

(ग) व्यक्ति/संगम को विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है, यदि हां, तो इसके ब्यौरे दें :



11. क्या :

- (i) व्यक्ति/संगम ने विगत में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) /विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया था और यदि हां तो इसके ब्यौरे दें :
- (ii) व्यक्ति/संगम ने विगत में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49)/ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पूर्व अनुज्ञा हेतु आवेदन किया था और यदि हां तो इसके ब्यौरे दें :
- (iii) व्यक्ति/संगम का किसी अन्य व्यक्ति/संगम या इसकी इकाई या शाखा से घनिष्ठ संपर्क है, जिसे:
- (क) रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा देने से मना कर दिया गया हो:
- (ख) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो:
- (ग) जिनका रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द कर दिया गया हो:
- (घ) यदि उपर्युक्त (क) से (ग) में से किसी का भी उत्तर हां में हो, तो कृपया पूरी विशिष्टियां दें।

12. दाता से विदेशी अभिदाय की वचनबद्धता संबंधी ब्यौरा :

विदेशी अभिदाय का स्वरूप	मूल्य (मुद्रा के नाम सहित)	परियोजना/कार्यकलाप का नाम; परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा और बजट के ब्यौरे सहित कार्यान्वयन का पता	उद्देश्य (सांस्कृतिक/ आर्थिक/ शैक्षिक/धार्मिक/सामाजिक)
(1)	(2)	(3)	(4)

13. उन विदेशी स्रोत(तों) का ब्यौरा जिनसे विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :

विदेशी स्रोत का नाम	कार्यालय का पता; कार्यालय का ई-मेल पता	व्यष्टि दाता के मामले में		
(1)	(2)	(3)		
		पिता/पति या पत्नी का नाम	राष्ट्रीयता और पासपोर्ट संख्या	व्यवसाय

भवदीय,

[मुख्य कृत्यकारी का नाम]

(चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) स्पष्ट अक्षरों में]

(व्यक्ति/संगम की मुहर)

#### घोषणा और वचनबंध

(क) मैं/हम (व्यक्ति/संगम का नाम)..... यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य एवं सही है; और

(ख) मैं मैं/हम (व्यक्ति/संगम का नाम) ..... वचन देता हूं/देते हैं कि प्राप्त विदेशी अभिदाय और इसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) ऐसे नियमों के किसी उपबंध और इसके अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं या आदेशों का उल्लंघन नहीं होगा।

(ग) मैं/हम (व्यक्ति/संगम का नाम) ----- यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि पदाधिकारी और मुख्य कृत्यकारी तथा सदस्य विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 12 की उपधारा (4) में अधिकथित पूर्ण पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और प्रोफार्मा "कक" में प्रत्येक पदाधिकारी तथा मुख्य कृत्यकारी और सदस्य द्वारा प्रोफार्मा "कक" में निष्पादित शपथपत्र को इस आवेदन प्ररूप के साथ अपलोड कर दिया है।

स्थान:

तारीख:

[मुख्य कृत्यकारी का नाम]

(चेयरपर्सन/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) स्पष्ट अक्षरों में]

(संगठन/व्यक्ति/संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-3ग

[नियम 12 का उपनियम (2) देखें]

सं. \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

दर्पण आईडी.....

सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय,

विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कंध),

नई दिल्ली-110002

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, (2010 का 42) की धारा 16 के अधीन किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले व्यक्ति/संगम द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने हेतु 'नवीकरण' के लिए आवेदन:

मैं/हम (व्यक्ति/संगम का नाम)..... व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/ व्यक्ति/संगम /कंपनी अधिनियम,1956/कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी के रूप में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करता हूँ तथा विदेशी अभिदाय (विनियमन ) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन करता हूँ:

1. आवेदक/ व्यक्ति/संगम के ब्यौरे :

(क) पूरा नाम:

(ख) पता:

(ग) व्यक्ति/संगम का टेलिफोन नं. (एसटीडी कोड सहित):

(घ) व्यक्ति/संगम का ई-मेल पता:

(ङ) अधिकृत वेबसाइट का पता, यदि कोई है:

(च) मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन और मोबाइल नं. (एसटीडी कोड सहित):

2. रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे :

- (क) अधिनियम का नाम अर्थात् (सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013) आदि जिसके अधीन व्यक्ति/संगम रजिस्ट्रीकृत है:
- (ख) रजिस्ट्रीकरण की संख्या, तारीख और स्थान:  
(रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए):
- (ग) व्यक्ति/संगम का पैन (स्थायी खाता संख्या):
- (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख (नवीकरण के मामले में) – प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाए :
- (ङ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय की रकम :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	रकम (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

3. व्यक्ति/संगम का स्वरूप:

- (क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षिक (ङ) सामाजिक

टिप्पण: यदि धार्मिक व्यक्ति/संगम है तो उल्लेख करें कि किससे संबंधित है (क) हिन्दू (ख) सिक्ख (ग) मुस्लिम (घ) ईसाई (ङ) बौद्ध (च) अन्य

4. व्यक्ति/संगम के मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य :

(व्यक्ति/संगम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को दर्शाने वाले व्यक्ति/संगम के ज्ञापन और/या व्यक्ति/संगम के अनुच्छेदों के सुसंगत पृष्ठों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें):

5(क). व्यक्ति/संगम के सभी पदाधिकारियों या निदेशकों या अन्य मुख्य कृत्यकारियों के ब्यौरे:

नाम	पिता/पति या पत्नी का नाम	राष्ट्रीयता	आधार संख्या	पैन संख्या	व्यवसाय	व्यक्ति/संगम में पदनाम	कार्यकारी परिषद /शासकीय निकाय के पदाधिकारियों के अन्य सदस्यों के साथ संबंध	कार्य संपर्क ब्यौरे; कार्यालय पता; आवासीय पता; ई-मेल पता; लेण्ड लाइन; मोबाइल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ख) यदि उपर्युक्त में से कोई विदेशी है (पीआईओ/ओसीआई कार्डधारक सहित) तो उसके ब्यौरे :

नाम	जन्म की तारीख और स्थान	पासपोर्ट संख्या	विदेश का पता	क्या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं	पीआईओ/ओसीआई कार्ड संख्या, यदि कोई हो	यदि भारत के निवासी हैं, तो वह तारीख जब से भारत में रह रहे हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ग) मूल आवेदन की तुलना में शामिल करने/हटाने/निष्कासन/त्याग-पत्र/मृत्यु, आदि के कारण बदले गए मुख्य कृत्यकारियों के ब्यौरे :-

नाम	शामिल करना/हटाना/ निष्कासन/त्याग-पत्र/मृत्यु आदि	प्रभावी तारीख	कारण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. संदाय की गई फीस की रकम (रु.) :

7. क्या व्यक्ति/ संगम का कोई वर्तमान पदाधिकारी या निदेशक या अन्य मुख्य कृत्यकारी अपने कार्यालय संबंधी कार्यों के निर्वहन में या तिजी आचरण में:

(क) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है;

(ख) उसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है;

(ग) व्यक्ति/ संगम की निधियों या पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति/ संगम की निधियों का अपयोजन या दुरुपयोग का दोषी पाया गया है;

(घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है;

(ङ.) किसी अन्य व्यक्ति/ संगम का वर्तमान में मुख्य कृत्यकारी है;

(च) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति/ संगम का मुख्य कृत्यकारी है जिसके विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियम अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 या धारा 14 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है।

**टिप्पण:** यदि उपरोक्त (क) से (च) में किसी का उत्तर हां है, तो मामले के पूर्ण ब्यौरे दिए जाएं :

8. क्या आवेदक व्यक्ति/संगम :

(क) किसी ऐसी विदेश में आधारित संगठन की कोई शाखा या अन्य व्यक्ति/ संगम की कोई शाखा /इकाई /सहयुक्त है जिसे अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत या पूर्व अनुज्ञा दी गई है। यदि ऐसा है तो संगठन का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या /पूर्व अनुज्ञा संख्यांक और तारीख:

(ख) अधिनियम की धारा 10 को आकर्षित करता है, यदि ऐसा है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 11(3) के अधीन पारित आदेशों के ब्यौरे दें :

(ग) अधिनियम की धारा 9 (घ) के निर्बंधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त करने संबंधी निर्देश प्राप्त किए गए हैं। यदि ऐसा है तो सुसंगत आदेश की संख्या और तारीख :

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन), 1976(1976 का 49)/विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के उपबंधों के अनुसार पहले भी अभियोजित किया गया है, यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दें

9. (क) विदेशी अभिदाय की प्राप्ति के लिए "एफसीआरए खाता" के ब्यौरे:

बैंक का नाम	शाखा पता (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता सं.	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भारतीय स्टेट बैंक	नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001		SBIN0000691		
अन्य					

“एफसीआरए खाता” यदि कोई हो					
---------------------------	--	--	--	--	--

बैंक के ब्यौरों में कोई परिवर्तन नहीं है।

किसी परिवर्तन की स्थिति में एफसी- 6 ग प्ररूप द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना दी जाए।

9.(ख) विदेशी अभिदाय के उपयोग के लिए सभी उपयोग किए जाने वाले बैंक खातों के ब्यौरे दें (रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक द्वारा भरा जाए) :

बैंक का नाम	शाखा पता (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता सं.	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

10.(i) (क) यदि विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व में अनुज्ञा दी गई है, तो मंजूरी की तारीख और संख्या

(ख) वार्षिक रूप से लेखा प्रस्तुत करने की तारीख

(ii) क्या:

(क) व्यक्ति/ संगम ने पूर्व में बिना अनुज्ञा के विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है, यदि ऐसा है तो पूर्ण ब्यौरे दें;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त उल्लंघन को माफ/शमन कर दिया गया है, यदि ऐसा है तो सुसंगत आदेश की तारीख और संख्या ;

(ग) व्यक्ति/ संगम को विदेशी अभिदाय स्वीकृत करने से प्रतिषिद्ध किया गया है, यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दें ;

(घ) व्यक्ति/ संगम को पूर्व में निलंबित/रद्द किया गया है, यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दें ;

(ङ.) व्यक्ति/ संगम के नवीनीकरण के लिए पूर्व में इंकार किया गया है।

11. क्या :

(i) व्यक्ति/ संगम ने कभी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49), विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था, यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दें।

(ii) क्या व्यक्ति/ संगम ने कभी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49), विदेशी अभिदाय (विनियमन) 2010 (2010 का 42) के अधीन पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन किया था, यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दें।

(iii) क्या व्यक्ति/ संगम का किसी अन्य व्यक्ति/ संगम या उसकी इकाई या शाखा से निकट संबंध है, जिसे:

(क) रजिस्ट्रीकरण /पूर्व अनुज्ञा से इंकार किया गया है

(ख) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है

(ग) निलंबित या जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है

(घ) यदि उपरोक्त (क) से (ग) में से किसी का उत्तर "हां" है तो कृपया उसकी पूर्ण विशिष्टियां दें।

भवदीय,

[मुख्य कृत्यकारी (अध्यक्ष/सभापति/सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक)

का बड़े अक्षरों में नाम]

(व्यक्ति/ संगम की मुहर)

### घोषणा और वचनबंध

(क) मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम) ..... यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना सत्य और सही है;

(ख) मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम) ..... यह वचन देता हूं कि विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसका उपयोग विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के किसी भी उपबंधों और समय समय पर तद्विनिर्दिष्ट जारी नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के उल्लंघन में नहीं करेगा; और

(ग) मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम) ..... यह सत्यापित करता हूं कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 12 की उपधारा (4) में अधिकथित सभी पात्रता मानदंड पदाधिकारी और मुख्य कृत्यकारी और सदस्य पूरे करते हैं तथा प्रत्येक पदाधिकारी और मुख्य कृत्यकारी और सदस्य द्वारा निष्पादित शपथपत्र इस आवेदन प्ररूप के साथ प्रोफार्मा 'कक' में अपलोड है,।

स्थान :

तारीख :

[मुख्य कृत्यकारी (अध्यक्ष/सभापति/सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक)

का बड़े अक्षरों में नाम]

(संगठन/व्यक्ति/ संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-4

[नियम 17 देखें]

दर्पण आईडी.....

सचिव, भारत सरकार,

गृह मंत्रालय,

विदेशियों विषयक प्रभाग (एफसीआरए खंड),

मेज़र ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, इंडिया गेट,

नई दिल्ली – 110002.

विषय : 31 मार्च.....को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विदेशी अभिदाय का लेखा।

1. (क) व्यक्ति/ संगम का नाम और पता :

(ख) एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा संख्या और तारीख :

2. विदेशी अभिदाय प्राप्ति के ब्यौरे :

(i) नकद/किस्म में प्राप्त विदेशी अभिदाय (मूल्य) :

(क) वर्ष के प्रारंभ में अग्रणीत विदेशी अभिदाय (रुपए) :

(ख) वर्ष के दौरान आय\* :

(i) ब्याज :

(ii) परियोजनाओं/कार्यकलापों से अन्य प्राप्तियां

क्रम सं.	परियोजना /कार्यकलाप का नाम और अवस्थिति	परियोजना/कार्यकलाप के प्रारंभ होने का वर्ष	वर्ष के दौरान आय रुपए में
1			
योग			

(ग) वित्त वर्ष के दौरान विदेशी स्रोत से प्राप्त विदेशी अभिदाय :

(घ) कुल विदेशी अभिदाय (क+ख+ग) (रुपए) :

\*अर्थात् विदेशी अभिदाय पर उदभूत ब्याज या विदेशी अभिदाय से व्युत्पन्न अन्य आय अर्थात् विदेशी अभिदाय से सृजित आस्तियों से विक्रय आगम या वर्ष के दौरान उन पर ब्याज, परियोजनाओं/कार्यकलापों से आय ।

(ii) (क) प्राप्त विदेशी अभिदाय के दाता वार ब्यौरे :

क्रम सं.	दाता (दाताओं) का नाम	संस्थानिक/व्यष्टिक	दाता के ब्यौरे : कार्यालय पता; ई-मेल; वेबसाइट	वह प्रयोजन, जिसके लिए प्राप्त किया गया (सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक)	विनिर्दिष्ट कार्यकलाप/परियोजना	रकम रुपए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ख) सभी प्राप्त विदेशी अभिदायों संदानो की संचयी परियोजनावार (सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक) रकम :

### 3. विदेशी अभिदाय के उपयोग के ब्यौरे :

(क) कार्यकलापों/परियोजनाओं, जिनके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त किया गया और उपयोग किया गया, के ब्यौरे (रुपए में) :

क्रम सं.	परियोजना/कार्यकलाप का नाम	पता/अवस्थिति	पूर्व शेष		वर्ष के दौरान प्राप्ति		उपयोग किया गया		शेष	
			नकद में	किस्म में	नकद में	किस्म में	नकद में	किस्म में	नकद में	किस्म में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(i) व्यक्ति/संगम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार परियोजनाओं के लिए उपयोग\*\* (रुपए) :

(ii) विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 5 में यथा उपबंधित प्रशासनिक व्यय (रुपए) :

(iii) विदेशी अभिदाय का कुल उपयोग (रुपए) (i+ii) :

\*\*इस बात की पुष्टि की जाती है कि विदेशी अभिदाय का उपयोग विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के उपबंधों और विशिष्टतया अधिनियम की धारा 9 और धारा 12 के उल्लंघन में नहीं है, जो कि अन्य बातों के साथ, यह कथन करती हैं कि विदेशी अभिदाय की स्वीकृति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है :

- (अ) भारत की संप्रभुता और अखंडता ; या  
 (आ) राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित ; या  
 (इ) लोक हित ; या  
 (ई) किसी विधान मंडल के निर्वाचन में स्वतंत्रता या निष्पक्षिता; या  
 (उ) किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्री संबंधों पर ; या  
 (ऊ) धार्मिक, जातीय, सामाजिक, भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सामंजस्यता ।

(ख) पैरा 3 (क) में शामिल नई शास्तियों की कुल खरीद के ब्यौरे:

क्र. सं.	परियोजना/कार्यकलाप का नाम	नई आस्तियों के ब्यौरे	नई आस्तियों के अर्जन के उद्देश्य	नई आस्तियों की लागत (रु.)
			कुल	

(ग) अन्य व्यक्ति /संगमों को 29.09.2020 से पहले (विदेशी अभिदाय (विनियमन) संसोधन अधिनियम, 2020 के प्रचालन के साथ) विदेशी अभिदाय का अंतरण:

क्रम सं.	व्यक्ति /संगम का नाम	तारीख	प्रयोजन	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	कुल			

(घ) वर्ष में कुल उपयोग (रुपए) ((क + ग) :

4. उपयोग न किए गए विदेशी अभिदाय के ब्यौरे :

(i) आवधिक जमा में विनिधान किया गया कुल विदेशी अभिदाय (रुपए)

क्रम सं.	ब्यौरे	योग (रुपए में)
(क)	नियत जमा का आदि अतिशेष	
(ख)	वर्ष के दौरान किया गया नियत जमा	
(ग)	घटा : पूर्व नियत जमा की वसूली	
(घ)	नियत जमा का अंत अतिशेष	

(ii) नकद/बैंक में वर्ष के अंत में उपयोग न किए गए विदेशी अभिदाय का अतिशेष शेष (रुपए) :

(क) उपलब्ध नकद :

(ख) विदेशी अभिदाय नामनिर्दिष्ट खाते में :

(ग) उपयोग बैंक खातों में :

(घ) कुल (रुपए) (क + ख + ग) :

(iii) उपयोग न किए गए कुल विदेशी अभिदाय (रुपए) (i + ii) :

5. मुख्य कृत्यकारी/कार्यकारी/सहयुक्त के रूप में विदेशियों की कुल संख्या :



**6. दो वर्ष से अधिक के लिए उपयोग न की गई भूमि और भवनों के ब्यौरे :**

क्रम सं.	भूमि और भवन की अवस्थिति	अर्जन का वर्ष	अर्जन का प्रयोजन	अनुपयोजित रहने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**7. (क) विदेशी अभिदाय की प्राप्ति के लिए "एफसीआरए खाते" के ब्यौरे (समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार):**

बैंक का नाम	शाखा का नाम (पिन कोड सहित)	फोन नं.	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भारतीय स्टेट बैंक	नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001			SBIN0000691		

(ख) विदेशी अभिदाय रखने या उपयोग करने के प्रयोजन के लिए अन्य "एफसीआरए खाता", यदि कोई हो, के ब्यौरे (समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार):

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	फोन नं.	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ग) विदेशी अभिदाय के उपयोग के लिए सभी उपयोग बैंक खातों (यदि कोई हो) के ब्यौरे (समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार) :

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	फोन नं.	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

क्या रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान	हां/नहीं
(i) कोई विदेशी अभिदाय किसी एफ सी आर ए रजिस्ट्रीकृत संगम को हस्तांतरित किया गया था?	हां/नहीं
(ii) कोई विदेशी अभिदाय किसी गैर एफ सी आर ए रजिस्ट्रीकृत संगम को हस्तांतरित किया गया था?	हां/नहीं
(iii) संगम के किसी कृत्यकारी पर भूमि की विधि के अधीन अभियोजन चलाया गया था उसे दोषी ठहराया गया है?	हां/नहीं
(iv) किसी विदेशी अभिदाय से सृजित कोई आस्ति संगम के नाम से भिन्न अन्य नाम में रजिस्ट्रीकृत है?	हां/नहीं
(v) किसी एफ सी आर ए खातों में कोई घरेलू अभिदाय जमा किया गया है?	हां/नहीं
(vi) संगम ने नामनिर्दिष्ट एफ सी आर ए प्राप्ति खाता से भिन्न खाते में कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है ?	हां/नहीं
(vii) संगम में रजिस्ट्रीकरण या पूर्व अनुमति के एफ सी आर ए प्रमाणपत्र में परिभाषित प्रयोजन से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए विदेशी अभिदाय का उपयोग किया है?	हां/नहीं
(viii) संगम ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम 2011 के नियम 4 में यथापरिभाषित किसी विदेशी	हां/नहीं

अभिदाय का निवेश किसी सट्टा गतिविधि में किया है?	
(ix) संगम या उसके किसी कृत्यकारी पदाधिकारी ने अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 4 के अधीन यथाप्रमाणित शर्तों में से का उल्लंघन किया है?	हां/नहीं
(x) संगम ने प्राप्त विदेशी अभिदाय का 20% से अधिक प्रशासनिक व्यय पर खर्च किया है ?	हां/नहीं
(xi) विदेशी अभिदाय से अर्जित कोई भी स्थिर आस्ति बेच दी गई है ?	हां/नहीं
(xii) उपरोक्त स्थिर आस्ति नियम विक्रय के आगम का अपयोजन किया गया है। “एफ सी आर ए” खाता में जमा नहीं किया गया है ?	हां/नहीं
(xiii) “एफ सी आर ए” से भिन्न किसी भी खाता में कोई सावधि जमा के आगम जमा किए गए हैं ?	हां/नहीं
(xiv) कोई संगठन/इकाई, संगम का अंग नहीं है, संगम द्वारा प्रबंधित/वित्तीय रूप से समर्थित हो रही है?	हां/नहीं
(xv) संगम ने किसी विदेशी अभिदाय का उपयोग भारत के बाहर किया है ?	हां/नहीं
टिप्पण : जहां कहीं भी उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हां में है, संक्षिप्त ब्यौरे प्रदान किये जाने चाहिए।	

### घोषणा

मैं/हम (व्यक्ति या संगम).....घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसका उपयोग विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के किसी भी उपबंधों और समय-समय पर तदधीन जारी नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों का उल्लंघन नहीं करता है तथा विदेशी अभिदाय का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया था, जिसके लिए व्यक्ति/ संगम को केंद्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा अनुदत्त की गई थी।

स्थान :

तारीख :

[मुख्य कृत्यकारी (अध्यक्ष/सभापति/सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक)

का बड़े अक्षरों में नाम]

(व्यक्ति/ संगम की मुहर)

### चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र

मैंने.....(व्यक्ति/ संगम का नाम और उसका पूरा पता जिसमें राज्य, जिला और पिन कोड यदि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है तो उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण का राज्य) के 31 मार्च..... को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खाता की लेखा परीक्षा की है और सभी संगत बहियों और वाउचरों की जांच की है तथा परीक्षित लेखाओं के अनुसार यह प्रमाणित करता हूं कि :

- वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अग्रणीत विदेश अभिदाय.....रूप था;
- वित्तीय वर्ष.....के दौरान व्यक्ति/ संगम द्वारा.....रूप मूल्य का विदेशी अभिदाय प्राप्त किया गया था;
- वित्तीय वर्ष.....के दौरान व्यक्ति/ संगम द्वारा.....रूप मूल्य, विदेशी अभिदाय पर प्रोदभूत व्याज और विदेशी अभिदाय से उदभूत अन्य आय या उस पर व्याज प्राप्त किया गया था;
- वित्तीय वर्ष..... की समाप्ति पर व्यक्ति/ संगम के पास.....रूप का अनुपयोजित विदेशी अभिदाय शेष था।
- प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति/ संगम ने विदेशी अभिदाय के खातों और उससे संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17 के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (वर्ष 2010 का 42) की धारा 19 में विनिर्दिष्ट रीति में किया है।
- इस प्रमाणपत्र में और संलग्न तुनलपत्र और प्राप्तिओं और भुगतान के विवरण में जानकारी सही है क्योंकि मैंने/हमने जांच कर ली है।

(vii) व्यक्ति/ संगम ने प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय का उपयोग उस प्रयोजन जिसके लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन वह रजिस्ट्रीकृत किया गया है या उसे पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गयी है किया है।

स्थान :

तारीख:

चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर  
(मुहर , पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या)

**प्ररूप एफसी-6क**

**[नियम 9 और 17क देखें]**

**दर्पण आईडी.....**

सचिव, भारत सरकार

गृह मंत्रालय, विदेश प्रभाग,

(एफसीआरए विंग)

मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम,

इंडिया गेट, नई दिल्ली-110002

विषय: व्यक्ति/ संगम की बावत जिसे विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्रदत्त की गई है, के नाम/पते में परिवर्तन के विषय में, केन्द्रीय सरकार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 और नियम 17क के अधीन सूचना ।

महोदय,

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम)..... वैयक्तिक/संगम/कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथाअपेक्षित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :

व्यक्ति/ संगम का नाम और/या पता का परिवर्तन

1. व्यक्ति/ संगम की एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति संख्या और तारीख :
2. व्यक्ति/ संगम का शासकीय टेलीफोन नं. :
3. व्यक्ति/ संगम का ई-मेल पता :
4. व्यक्ति/ संगम के मुख्य कार्यकारी का टेलीफोन/ मोबाईल नं. :

(व्यक्ति/ संगम के नाम और/ या पता के परिवर्तन के संबंध में सूचना आवेदक द्वारा भरी जाएगी)

(i) स्थानीय/ सुसंगत प्राधिकारी के साथ अभिलिखित व्यक्ति/ संगम का संशोधित/ परिवर्तित नाम :

(ii) स्थानीय/ सुसंगत प्राधिकारी के साथ अभिलिखित व्यक्ति/ संगम का संशोधित/ परिवर्तित पता :

(स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संशोधन की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि को संलग्न किया जाएगा)

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम)..... प्रतिज्ञान करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना सत्य और सही है और :

(क) व्यक्ति/ संगम का नाम और/या पता का परिवर्तन सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के साथ समयक रूप से अभिलिखित किया गया है।

(ख) परिवर्तनों को प्रभाव में लाने से पूर्व शासकीय निकाय द्वारा संकल्प पारित किया गया है।

(ग) किन्हीं भी मुख्य सदस्यों की नियुक्ति विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 12 की उपधारा (4) के अतिक्रमण में नहीं की गयी है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)।

[मुख्य कृत्यकारी

(अध्यक्ष/सभापति/सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का बड़े अक्षरों में नाम]

(व्यक्ति/ संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-6ख

[नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी.....

सचिव, भारत सरकार

गृह मंत्रालय, विदेश प्रभाग,

(एफसीआरए विंग)

नई दिल्ली-110002

विषय – व्यक्ति/ संगम की बावत जिसे विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्रदत्त की गई है, के प्रकृति, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों और स्थानीय और सुसंगत प्राधिकारियों के साथ रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन के विषय में, केन्द्रीय सरकार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 और नियम 17क के अधीन सूचना।

महोदय,

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम)..... वैयक्तिक/संगम/कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथाअपेक्षित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :

व्यक्ति/ संगम के संबंध जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्रदत्त की गई है की प्रकृति, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों और स्थानीय और सुसंगत प्राधिकारियों के साथ रजिस्ट्रीकरण का परिवर्तन।

1. व्यक्ति/ संगम की एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति संख्या और तारीख :
2. व्यक्ति/ संगम का शासकीय टेलीफोन नं. :
3. व्यक्ति/ संगम का ई-मेल पता :
4. व्यक्ति/ संगम के मुख्य कार्यकारी का टेलीफोन/ मोबाईल नं. :

(व्यक्ति/ संगम के संबंध जिसको विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्रदत्त की गई है की प्रकृति, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों और स्थानीय और सुसंगत प्राधिकारियों के साथ रजिस्ट्रीकरण के परिवर्तन की सूचना आवेदक द्वारा भरी जाएगी)

नई प्रकृति, लक्ष्य तथा उद्देश्य और स्थानीय /सुसंगत प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकरण:

- (i) व्यक्ति/ संगम की संशोधित/ परिवर्तित प्रकृति:
- (ii) व्यक्ति/ संगम के संशोधित/ परिवर्तित लक्ष्य और उद्देश्य:
- (iii) स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारियों के साथ संशोधित/ परिवर्तित रजिस्ट्रीकरण:

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम)..... प्रतिज्ञान करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना सत्य और सही है और :

- (क) परिवर्तनों को प्रभाव में लाने से पूर्व शासकीय निकाय द्वारा संकल्प पारित किया गया है।

(ख) व्यक्ति/ संगम के प्रकृति, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों और स्थानीय और सुसंगत प्राधिकारियों के साथ रजिस्ट्रीकरण का परिवर्तन सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के साथ सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है।

(ग) किन्हीं भी मुख्य सदस्यों की नियुक्ति विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 12 की उपधारा (4) के अतिक्रमण में नहीं की गयी है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)।

[मुख्य कृत्यकारी

(अध्यक्ष/सभापति/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का बड़े अक्षरों में नाम]

(व्यक्ति/ संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-6ग

[नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी.....

सचिव, भारत सरकार

गृह मंत्रालय, विदेश प्रभाग, (एफसीआरए विंग)

नई दिल्ली-110002

विषय – व्यक्ति/ संगम की बावत जिसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्रदत्त की गई है की विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 और नियम 17क के अधीन नामनिर्दिष्ट “एफसीआरए खाता” भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 17 के अधीन पसंद का, अन्य एफसीआरए खाता का परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना।

महोदय,

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम)..... वैयक्तिक/संगम/कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथाअपेक्षित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :

- |      |  |
|------|--|
| (i)  | अधिनियम की धारा 17 के अधीन नामनिर्दिष्ट “एफसीआरए खाता” भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली की सूचना; या |
| (ii) | अधिनियम की धारा 17 के अधीन पसंद का, अन्य एफसीआरए खाता, यदि कोई हो, में परिवर्तन।   |

1. व्यक्ति/ संगम की एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति संख्या और तारीख :

2. व्यक्ति/ संगम का शासकीय टेलीफोन नं. :

3. व्यक्ति/ संगम का ई-मेल पता :

4. व्यक्ति/ संगम के मुख्य कार्यकारी का टेलीफोन/ मोबाईल नं. :

(अधिनियम की धारा 17 के अधीन नामनिर्दिष्ट “एफसीआरए खाता” भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली या अधिनियम की धारा 17 के अधीन पसंद का, अन्य एफसीआरए खाता, यदि कोई हो, में परिवर्तन की सूचना आवेदक द्वारा भरी जाएगी)

नामनिर्दिष्ट “एफसीआरए खाता” भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली/ पसंद का, अन्य एफसीआरए खाता, यदि कोई हो के ब्यौरे:

बैंक का नाम	शाखा का नाम (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भारतीय स्टेट बैंक	नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001		SBIN0000691		

(विद्यमान बैंक से पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि और नए बैंक के संबंध में परिवर्तन को संलग्न किया जाएगा।)

मैं/हम (व्यक्ति/संगम का नाम)..... घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सत्य एवं सही है, और :

- (क) परिवर्तन को प्रभाव में लाने से पूर्व शासकीय निकाय संकल्प पारित करेगा ।  
 (ख) एफसीआरए खाता के परिवर्तन के संबंध में बैंक प्राधिकारी द्वारा सम्यक् सूचना दी जाएगी ।  
 (ग) कोई भी मुख्य सदस्य की नियुक्ति विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) में धारा 12 की उपधारा (4) के अतिक्रमण में नहीं होगा ।

(जो लागू न हो उसे काट दें) ।

[मुख्य कृत्यकारी

(अध्यक्ष/सभापति/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का बड़े अक्षरों में नाम]

(व्यक्ति/ संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-6घ

[नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी.....

सचिव, भारत सरकार

गृह मंत्रालय, विदेश प्रभाग,

(एफसीआरए विंग)

नई दिल्ली-110002

विषय: संगम जिसे विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा दी गई है, के अतिरिक्त एफसी उपयोग खाता खोलने के संबंध में, केन्द्रीय सरकार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 और नियम 17क के अधीन सूचना ।

महोदय,

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम).....व्यक्तिगत/संगम/कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथाअपेक्षित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :

विदेशी अभिदाय के उपयोग के उद्देश्य से अतिरिक्त एफसी-उपयोग बैंक खाता खोलना ।

1. एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति से व्यक्ति/ संगम की संख्या और तारीख :
2. व्यक्ति/ संगम की शासकीय टेलीफोन नं. :
3. व्यक्ति/ संगम का ई-मेल पता :
4. व्यक्ति/ संगम के मुख्य कार्यकारी का टेलीफोन/ मोबाईल नं0. :

(विदेशी अभिदाय के उपयोग बैंक खाते को खोलने के संबंध में सूचना आवेदक द्वारा भरी जाएगी।)

बैंक का नाम	शाखा का पता	ई-मेल	आईएफएससी कोड	उपयोग खाता संख्या	खाता खुलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम).....घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सत्य एवं सही है, और :

(क) अतिरिक्त एफसी उपयोग खाता खोलने से पूर्व शासकीय निकाय संकल्प पारित करेगा।

(ख) अतिरिक्त एफसी-उपयोग खाता के खोलने के संबंध में बैंक प्राधिकारी को सम्यक् सूचना दी जाएगी।

(ग) कोई भी मुख्य सदस्य की नियुक्ति विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के धारा 12 की उपधारा (4) के अतिक्रमण में नहीं होगा।

(जो लागू न हो उसे काट दें)।

[मुख्य कृत्यकारी

(अध्यक्ष/सभापति/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का बड़े अक्षरों में नाम]

(व्यक्ति/ संगम की मुहर)

प्ररूप एफसी-6ड

[नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी.....

सचिव, भारत सरकार

गृह मंत्रालय, विदेश प्रभाग,

(एफसीआरए विंग)

नई दिल्ली-110002

विषय – व्यक्ति/ संगम जिसे विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा दी गई है, मुख्य सदस्यों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 और नियम 17क के अधीन सूचना।

महोदय,

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम).....व्यक्तिगत/संगम/कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2011 के नियम 17क के अधीन यथाअपेक्षित निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :

1. एफसीआरए रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुमति से व्यक्ति/ संगम की संख्या और तारीख :
2. व्यक्ति/संगम की शासकीय टेलीफोन नं. :
3. व्यक्ति/संगम का ई-मेल पता :
4. व्यक्ति/संगम के मुख्य कार्यकारी का टेलीफोन/ मोबाईल नं. :

(व्यक्ति/संगम के मूल मुख्य सदस्यों के परिवर्तन के संबंध में सूचना आवेदक द्वारा भरी जाएगी।)

व्यक्ति/संगम जिसे विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा दी गई है, रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए जैसा कि विहित किया गया है, व्यक्ति/संगम के रजिस्ट्रीकरण (पूर्व अनुज्ञा) दिए जाने हेतु आवेदन में रिपोर्टित है।

नाम	पिता /पति या पत्नी का नाम	राष्ट्रीयता	आधार संख्या	पैन	व्यवसाय	व्यक्ति/संगम में पदनाम	कार्यकारी परिषद / शासकीय निकाय पदाधिकारी के अन्य सदस्यों के संबंध	संपर्क विवरण; कार्यालय का पता; निवास का पता; ई-मेल पता; लैंडलाइन नं.; मोबाइल नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

यदि उपरोक्त में से कोई विदेशी है (पीआईओ/ओसीआई कार्ड धारक सहित), तो उनके ब्यौरे :

नाम	तारीख और जन्म स्थान	पासपोर्ट सं.	विदेश में पता	क्या व्यक्ति भारतीय मूल का है	पी आईओ/ ओसीआई कार्ड नं., यदि कोई हों	यदि भारत में निवास है, तब वह तारीख जिस दिन से वह भारत में निवास कर रहा है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम) घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सत्य एवं सही है और

(क) परिवर्तन को प्रभाव में लाने से पूर्व शासकीय निकाय संकल्प पारित करेगा।

(ख) कोई भी मुख्य सदस्य की नियुक्ति विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 12 की उपधारा (4) के अतिक्रमण में नहीं होगा।

(जो लागू न हो उसे काट दें)।

[मुख्य कृत्यकारी

(अध्यक्ष/सभापति/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) का बड़े अक्षरों में नाम] (व्यक्ति/संगम की मुहर)।

प्ररूप एफसी-7

[नियम 9 और 17क देखें]

दर्पण आईडी.....

सचिव, भारत सरकार

गृह मंत्रालय, विदेश प्रभाग,

(एफसीआरए विंग)

नई दिल्ली-110002

विषय -प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रीकरण को अभ्यर्पण करने के लिए प्रमाणपत्र।

महोदय,

मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम).....व्यक्तिगत/संगम की ओर से..... विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 14क के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण करने के लिए लागू इसके अनुसार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

1. एफ सी आर ए रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

2. क. व्यक्ति/संगम के ब्यौरे :-

(i) पूरा नाम: .....

(ii) संपर्क ब्यौरे :



(क) पता .....

(ख) व्यक्ति/ संगम का अधिकारिक टेलीफोन नं. (एस टी कोड के साथ) :

(ग) अधिकारिक का ई-मेल पता :

(घ) मुख्य कार्यकारी का लैंडलाइन मोबाइल टेलिफोन नं.....

(iii) व्यक्ति/ संगम का पैन (स्थायी खाता संख्या):

(iv) मुख्य कार्यकारी का आधार संख्या:

(ग) किसी व्यक्ति/संगम के रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा :

(i) जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण हुआ है उस अधिनियम का नाम (जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम, 2013)।

(ii) रजिस्ट्रीकरण की संख्या, तारीख और स्थान :-

(रजिस्ट्रीकरण की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है)

(घ) व्यक्ति/ संगम के "एफ सी आर ए खाते" का विवरण:

बैंक का नाम	शाखा का नाम (पिन कोड सहित)	ई-मेल	आईएफएससी कोड	खाता संख्या	खाता खोलने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भारतीय स्टेट बैंक	नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग नई दिल्ली- 110001		SBIN0000691		

3. मैं/हम (व्यक्ति/संगम का नाम)..... घोषित करता हूं/ करते हूं/ हैं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य एवं सही है। मैं/हम (व्यक्ति/ संगम का नाम)..... यह भी पुष्टि करता हूं/ करता हूं/ हैं कि उपरोक्त में वर्णित खातों के अतिरिक्त विदेशी अभिदाय के उपयोग और प्राप्ति के लिए नहीं खोला है।

[मुख्य कृत्यकारी का नाम]

(चेयरपर्सन/अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक) स्पष्ट अक्षरों में]

(व्यक्ति/संगम की मुहर)

स्थान :

तारीख :"

[फा. सं. II/21022/23(12)/2020-एफसीआरए-III]

संतोष शर्मा, निदेशक

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 349(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 292(अ) 12 अप्रैल, 2012, सा.का.नि.966(अ) तारीख 14 दिसंबर, 2015, सा.का.नि. 199(अ) तारीख 7 मार्च, 2019 और सा.का.नि. 659(अ) तारीख 16 सितंबर, 2019 द्वारा उनका पश्चातवर्ती संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10<sup>th</sup> November, 2020

**G.S.R. 695(E).**—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely: -

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), -

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(ba) “electronic form” shall have the same meaning assigned to it in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);’;

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(f) “FCRA Account” means the FCRA Account referred to in section 17 of the Act.’

3. In the said rules, rule 3 shall be numbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) The organisations specified under clauses (v) and (vi) of sub-rule (1) shall be considered to be of political nature, if they participate in active politics or party politics, as the case may be.”

4. In the said rules, in rule 6, for the words “by uploading details electronically online”, the words “regarding the details of the foreign contribution received by him in electronic form” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), for the words “electronically online to the Central Government”, the words “to the Central Government in electronic form” shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 9, -

(i) in sub-rule (1)–

(A) in clause (a), for the words “electronically online”, at both places where they occur, the words “in electronic form” shall be substituted;

(B) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) Any person making an application for registration under clause (a) of sub-rule (1) shall have an FCRA Account.”;

(C) in clause (e), for the words “electronically online”, the words “in electronic form” shall be substituted;

(D) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

“(f) A person seeking registration under clause (b) of sub-section (4) of section 12 of the Act shall meet the following conditions, namely:—

(i) it shall be in existence for three years and have spent a minimum amount of rupees fifteen lakh on its core activities for the benefit of society during the last three financial years:

Provided that the Central Government, in exceptional cases or in cases where a person is controlled by the Central Government or a State Government may waive the conditions;

(ii) if the person wants inclusion of its existing capital investment in assets like land, building, other permanent structures, vehicles, equipment in the computation of its spending during last three years, then the chief functionary shall give an undertaking that the assets shall be vested henceforth with the person till the validity of the certificate and they shall be utilised only for the activities covered under the Act and the rules made thereunder and shall not be diverted for any other purpose till the validity of its certificate of registration remains valid.”;

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(1A) Every application seeking registration under clause (a) of sub-rule (1), made before the commencement of these rules but not disposed of, shall be considered after furnishing the details of FCRA Account.”;

(iii) in sub-rule (2), –

(A) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) Any person making an application for obtaining prior permission under clause (a) of sub-rule (1) shall have an FCRA Account.”;

(B) in clause (e), for the words “electronically online”, the words “in electronic form” shall be substituted;

(C) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

“(f) A person seeking prior permission for receipt of specific amount from a specific donor for carrying out specific activities or projects mentioned in clause (c) of sub-section (4) of section 12 of the Act shall meet the following criteria, namely:—

(i) submit a specific commitment letter from the donor indicating the amount of foreign contribution and the purpose for which it is proposed to be given;

(ii) for the Indian recipient persons and foreign donor organisations having common members, prior permission shall be granted to the person subject to it satisfying the following conditions, namely:—

(A) the chief functionary of the recipient person shall not be a part of the donor organisation;

(B) seventy-five per cent. of the office-bearers or members of the governing body of the person shall not be members or employees of the foreign donor organisation;

(C) in case of foreign donor organisation being a single individual that individual shall not be the chief functionary or office bearer of the recipient person; and

(D) in case of a single foreign donor, seventy-five per cent. of the office bearers or members of the governing body of the recipient person shall not be the family members or close relatives of the donor.”;

(iv) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2A) Every application for obtaining prior permission under clause (a) of sub-rule (1) made before the commencement of these rules but not disposed of, shall be considered after furnishing the details of FCRA Account.”;

(v) in sub-rule (4),—

(A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) An application made for the grant of prior permission shall be accompanied by a fee of rupees five thousand only, which shall be paid through the payment gateway specified by the Central Government.”;

(B) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) An application made for the grant of registration shall be accompanied by a fee of rupees ten thousand only, which shall be paid through the payment gateway specified by the Central Government.”;

(C) clause (d) shall be omitted.

7. In the said rules, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

“9A. Permission for receipt of foreign contribution in application for obtaining prior permission.— If the value of foreign contribution on the date of final disposal of an application for obtaining prior permission under clause (a) of sub-rule (1) of rule 9 is over rupees one crore, the Central Government may permit receipt of foreign contribution in such instalments, as it may deem fit:

Provided that the second and subsequent instalment shall be released after submission of proof of utilisation of seventy five per cent. of the foreign contribution received in the previous instalment and after field inquiry of the utilisation of foreign contribution.”.

8. In the said rules, rule 10 shall be numbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) The validity of certificate surrendered under section 14A of the Act shall be deemed to have expired on the date of acceptance of the request by the Central Government.”.

9. In the said rules, in rule 12,—

(i) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) An application for renewal of the certificate of registration shall be made to the Central Government in electronic form in Form FC-3C accompanied with an affidavit executed by each office bearer, key functionary and member in Proforma ‘AA’ appended to these rules within six months from the date of expiry of the certificate of registration.”;

(ii) after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:—

“(2A) Every person seeking renewal of the certificate of registration under section 16 of the Act shall open an FCRA Account and mention details of the account in his application for renewal of registration.

(2B) Every application for renewal of the certificate of registration made under sub-rule (2) before commencement of these rules, but not disposed of, shall be considered after furnishing the details of FCRA Account.”;

(iii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) An application made for renewal of the certificate of registration shall be accompanied by a fee of rupees five thousand only, which shall be paid through payment gateway specified by the Central Government.”;

(iv) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(5) No person whose certificate of registration has ceased to exist shall either receive or utilise the foreign contribution until the certificate is renewed.”;

(v) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(6) If no application for renewal of registration is received or the application is not accompanied by requisite fee before the expiry of the validity of the certificate of registration, the validity of the certificate of registration shall be deemed to have ceased from the date of completion of the period of five years from the date of the grant of certificate of registration.

**Note 1:** A certificate of registration granted on the 1<sup>st</sup> January, 2012 shall be valid till the 31<sup>st</sup> December, 2016 and a request for renewal of certificate of registration shall be submitted in electronic form accompanied by requisite fee after the 30<sup>th</sup> June, 2016 and within the 31<sup>st</sup> December, 2016.

**Note 2 :** If no application is received or is not accompanied by renewal fee, the validity of the certificate of registration issued on the 1<sup>st</sup> January 2012 shall be deemed to have ceased after the 31<sup>st</sup> December, 2016 and the applicant shall neither receive nor utilise the foreign contribution until the certificate of registration is renewed.”;

(vi) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(6A) The amount of foreign contribution lying unutilised in the FCRA Account and utilisation account of a person whose certificate of registration is deemed to have ceased under sub-rule (6) and assets, if any, created out of the foreign contribution, shall vest with the prescribed authority under the Act until the certificate is renewed or fresh registration is granted by the Central Government.”;

10. In the said rules, for rule 15, the following shall be substituted, namely:—

“15. Custody of foreign contribution in respect of a person whose certificate has been cancelled. – If the certificate of registration of a person who has opened an FCRA Account under section 17 is cancelled, the amount of foreign contribution lying unutilised in that Account shall vest with the prescribed authority under the Act.”.

11. In the said rules, after rule 15, the following rule shall be inserted, namely:—

“15A. Voluntary surrender of certificate. — Every person who has been granted certificate of registration under section 12 of the Act may make an application in electronic form in Form FC-7 for surrender of the certificate of registration in terms of section 14A of the Act.”.

12. In the said rules, in rule 17, in sub-rule (1), for the words “electronically online”, the words “in electronic form” shall be substituted.

13. In the said rules, in rule 17A,—

(i) for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“A person who has been granted a certificate of registration under section 12 or prior permission under section 11 of the Act shall intimate in electronic form within fifteen days, of any change in the following, namely:—”;

(ii) for clause (iv), the following shall be substituted, namely:—

“(iv) office bearers or key functionaries or members mentioned in the application for grant of registration or prior permission or renewal of registration, as the case may be, in Form FC-6E.”;

(iii) after clause (iv), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the change shall be effective only after final approval by the Central Government.”.

14. In the said rules, in rule 18, after the word, letters and figure “Form FC-1”, the word “in electronic form” shall be inserted.

15. In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—

“20. Revision. – An application for revision of an order passed by the competent authority under section 32 of the Act shall be made to the Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi on a plain paper and it shall be accompanied by a fee of rupees three thousand only, which shall be paid through the payment gateway specified by the Central Government.”.

16. In the said rules, for rule 21, the following rule shall be substituted, namely:—

“21. Compounding of offence.– An application for compounding of an offence under section 41 may be made to the Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi in electronic form and shall be accompanied by fee of rupees three thousand only, which shall be paid through the payment gateway specified by the Central Government.”.

17. In the said rules, in rule 23, after the words “registered post”, the words “or in electronic form” shall be inserted.

18. In the said rules, rule 24 shall be omitted.

19. In the said rules, for the FORMS, the following FORMS shall be substituted, namely:—

**“FORM FC-1**

[See rules 6, 17 and 18]

The Secretary to the Government of India,

Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

New Delhi-110002

**Subject:– Intimation to the Central Government of receipt of foreign contribution by way of gift from relative by an individual / foreign contribution in the form of articles/ securities/ by a candidate for election [section 21 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010)]:**

Sir,

I/We (name of person/association), ..... as an individual/ person/association/ company registered under Companies Act 1956/ Companies Act 2013, hereby, gives intimation of:

Receipt of foreign contribution by way of gift from relative	Yes/ No
Foreign contribution (articles) account	Yes/ No
Foreign contribution (securities) account	Yes/ No
Receipt of foreign contribution by a candidate for election	Yes/ No

**Part A**

(To be filled by applicant giving intimation of receipt of foreign contribution by way of gift from relative)

1. Name of the recipient in full (*in block letters*):

2. Date of birth:

3. Name of father/spouse:

4. Contact details of the recipient:

(a) Address:

- (b) Telephone and mobile number with STD code:
- (c) e-mail address:
5. Permanent Account Number (PAN) of the recipient in India:
6. Aadhaar number of the recipient in India:
7. Amount of foreign contribution received, if it exceeds one lakh rupees or equivalent in a financial year:
8. Number of the bank draft or telegraphic transfer or other communication including the bank details:
9. Details of the relative:
- (a) Name:
- (b) Nationality:
- (c) Country of residence:
- (d) e-mail address:
- (e) Passport number:
- (f) Relationship with the recipient:

#### Declaration

I/We (name of person/association)\_\_\_\_\_ hereby, declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the applicant

(Name, *in block letters*)

#### Part B

(To be filled by applicant giving intimation about foreign contribution (articles) account/ foreign contribution (securities) account)

**1.** Details of the applicant:

- (i) Name in full:
- (ii) Contact details:
- (a) Address:
- (b) Official telephone number(with STD code):
- (c) Official e-mail address:
- (iii) FCRA registration/prior permission number and date, if any:
- (iv) PAN (Permanent Account Number) of the person/association:
- (v) Aadhaar number of the recipient in India:

**2.** Details of articles:

Date	Name of article (s)	Description	Name and address of the person from whom received	Purpose	Quantity	Approximate Value (Rs.)	Mode of utilisation/ disposal (if disposed to whom)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Details of securities:

Date	Nature of security received	Name and address of the person from whom received	Nominal value (Rs.)	Market value (Rs.)	Reserve of permission details	Bank India	Mode of utilisation/ disposal (if disposed to whom)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)

#### Declaration

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ hereby, declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the applicant

(Name of the applicant *in block letters*)

*Official Seal*

#### Part C

[To be filled for giving intimation to the Central Government of receipt of foreign contribution received by a candidate for election under section 21 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010)]

- Name in full:
- Date of birth:
- Name of father/spouse:
- Contact details:
  - Address:
  - e-mail address:
  - Telephone and mobile number (with STD code):
- Aadhaar number of the recipient in India:
- Date on which duly nominated as a candidate for election to a legislature and particulars of legislature: (*See section 21 of the Act*):
- Details of foreign contribution received within one hundred and eighty days immediately preceding the date on which duly nominated as a candidate for election:

Foreign contribution received as cash/article/securities	Value (Rs)	Purpose	Donor name, address and E-mail address	Individual donor nationality	Relationship with donor	Utilisation details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

#### Declaration

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the candidate

(Name, *in block letters*)

**FORM FC-2**

[See sub-rule (1) of rule 7]

The Secretary to the Government of India,  
Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

New Delhi-110002

**Subject:— Application for seeking prior permission of the Central Government to accept foreign hospitality.**

[**Note:** For foreign hospitality availed in case of emergent medical aid situation, intimation to be given on plain paper to the Secretary, Ministry of Home Affairs at the address mentioned in FORM FC-2, within one month of such receipt of foreign hospitality.]

1. Name in full:
2. Date of birth:
3. Name of father/husband:
4. PAN number. :
5. Aadhaar number:
6. Contact details:
  - (a) Address:
  - (b) Telephone and mobile number with STD code:
  - (c) e-mail address:
7. Passport particulars (*if already in possession*):
8. Status: - (a) Member of Legislature (b) Office bearer of a political party (c) Judge of Supreme Court/High Court (d) Government Servant (e) Employee of a corporation or any other body owned or controlled by Government:
9. Details of hospitality proposed to be availed:

Names of cities/countries for which hospitality is to be accepted	Duration of stay from/to	Purpose of visit	Nature of hospitality to be accepted		Duration of hospitality to be accepted	Approximate expenditure to be incurred on hospitality (Rs.)	Remarks
			in Cash	in kind			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

10. Hospitality availed during the last three years: [Yes/No]

(a) If yes, *details thereof*:

Names of cities/countries for which hospitality was accepted	Duration of stay From/To	Purpose of visit	Nature of hospitality accepted		Duration of hospitality accepted	Approximate expenditure incurred on hospitality (Rs.)	Whether Ministry of Home Affairs Permission was granted (Y/N)	Remarks
			in Cash	in kind				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

11. Whether acceptance of foreign hospitality was ever denied to the applicant, if yes, details thereof:
12. Particulars of host(s):



Nature of host – individual/ organisation	Full name	Nationality/ passport number	Profession	Address	e-mail address	Fixed line telephone Number (with code); mobile number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

13. Nature of connection/relationship with the host or foreign source extending the hospitality:

14. Letter from the host regarding the details of hospitality to be extended and recommendation Letter from the organisation to which the applicant belongs are to be enclosed.

#### Declaration and Undertaking

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the applicant

(Name, in block letters)

#### FORM FC – 3A

(See clause (a) of sub-rule (1) of rule 9)

No \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**Darpan ID** \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

New Delhi-110002

**Subject:– Application for ‘registration’ under sub-section (1) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for the acceptance of foreign contribution by an Person/association having definite cultural, economic, educational, religious or social programme:**

Sir,

I/We (name of person/association), as an individual/ Hindu undivided family / person/association / company registered under Companies Act 1956 / Companies Act, 2013, furnish the following details and apply for approval of the Central Government for the acceptance of foreign contribution under sub-section (1) of section 11. of the Act for registration.

- Expenditure incurred in last three years towards activities for which registration applied for [See clause (b) of sub-section (4) of section 12 of the Act]: (Rs):
- Details of the applicant/person/association:
  - Name in full:
  - Address:
  - Telephone number of the person/association (with STD code):
  - e-mail address of the person/association:
  - official website address, if any:
  - Telephone number (with STD code) and mobile number of the chief functionary:
- Details of registration:
  - Name of the Act (*i.e* the Societies Registration Act, 1860, the Indian Trust Act, 1882, the Companies Act, 1956 / the Companies Act, 2013) under which the person/association is registered:
  - Number, date and place of registration:

(self-certified copy of the registration certificate to be enclosed):

(c) PAN (Permanent Account Number) of the person/association:

4. Nature of the person/association:

(a) religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social

**Note:** If a religious person/association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.

5. Main aim(s) and object(s) of the person/association

(enclose self-certified copy of relevant pages of the memorandum of person/association and/or the articles of person/association, showing aims and objects of person/association):

6. (a) Details of all office bearers or directors or other key functionaries of the person/association:

Name	Name of father/spouse	Nationality	Aadhaar number	PAN	Occupation	Designation in the person/association	Relationship with other member(s) of the executive council / governing body / office bearers	Contact details: Office address; residential address; e-mail; landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(b) If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof:

Name	Date and place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI card number, if any	If resident in India, date From which Residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

7. Amount of fee paid (Rs.):

8. Whether any current office bearers or directors or other key functionaries of the person/association has, in the discharge of his/her official functions or private conduct:

(a) been convicted by any court of law:

(b) under prosecution for any offence pending against him:

(c) been found guilty of diversion or mis-utilisation of funds of the person/association or any other Person/association in the past:

(d) has been prohibited from accepting foreign contribution:

(e) is a current key functionary of any other person/association:

(f) is a current key functionary of any other person/association against whom an order under sections 13 or 14 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has been passed:

**Note:** If any of the replies to (a) to (f) above is “yes”, then full details of the case must be given.

9. Whether the applicant person/association:

(a) is a branch / unit / associate of a foreign based organisation or another person/association already registered or granted prior permission under the Act. If so, name, address of the organisation and registration number/ prior permission number and date:

- (b) attracts section 10 of the Act and if so, details of the order passed by the Central Government under sub-section (3) of section 11 of the Act:
- (c) has been directed in terms of clause (d) of section 9 of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:
- (d) had earlier been proceeded against as per provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if so, the details thereof:

10. Details of "FCRA Account" for receipt of foreign contribution:

Name of the Bank	Branch address (with PIN code)	e-mail	IFSC Code	Account Number	Date of account opening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
State Bank of India	New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi-110001.		SBIN0000691		
Another "FCRA Account", if any					

11. (i) (a) If granted prior permission in past to receive foreign contribution, number and date of sanction:
- (b) Date of submission of yearly accounts thereof:
- (ii) Whether:
- (a) the person/association has received foreign contribution without prior permission in the past. If so, furnish full particulars:
- (b) said violation has been condoned/ compounded by the Central Government, if so, the number and date of the relevant order:
- (c) person/association has been prohibited from accepting foreign contribution, if so, details thereof:
12. Whether:
- (i) the person/association had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so details thereof:
- (ii) the person/association had applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so, details thereof:
- (iii) the person/association has close links with any another person/association, or its unit or branch, which has been:
- (a) refused registration / prior permission:
- (b) prohibited from accepting foreign contribution:
- (c) suspended or whose registration has been cancelled:
- (d) if answer to any of (a) to (c) is yes, please give full particulars:
- (iv) the person/association was already registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and the registration is cancelled/ deemed to have been ceased, if so details thereof:
- (a) Registration No. \_\_\_\_\_

- (b) Date of registration\_\_\_\_\_
- (c) Annual returns submitted (year-wise):

Yours faithfully,

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the person/association)

### Declaration and Undertaking

(a) I/We (name of person/association)\_\_\_\_\_, hereby declare that the information furnished above is true and correct;

(b) I/ We (name of person/association)\_\_\_\_\_, undertake that the receipt of foreign contribution and its utilisation shall not be violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and the rules, notifications or orders issued thereunder from time to time; and

(c) I/ We (name of person/association)\_\_\_\_\_, hereby certify that the office bearers and key functionaries and members fulfill all the eligibility criteria laid out in sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and an affidavit executed by each office bearer and key functionary and member in Proforma 'AA' is uploaded with this application form

Place:

Date:

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the Organisation/person/association)

**Note:** Applicants seeking registration are also to enclose audited statement of accounts and activity report of the person/association for the last three years.

### FORM FC-3B

(See clause (a) of sub-rule (1) of rule 9)

No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Darpan ID \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

New Delhi-110002

**Subject:—Application for 'prior permission' under sub-section (2) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for the acceptance of foreign contribution by a person/association having definite cultural, economic, educational, religious or social programme:**

Sir,

I/ We (name of person/association)\_\_\_\_\_, as an individual/ Hindu undivided family / person/association / company registered under the Companies Act 1956 or the Companies Act, 2013, furnish the following details and apply for approval of the Central Government for the acceptance of foreign contribution under sub-section (2) of section 11 of the Act for prior permission.

1. Details of the applicant/person/association:

(a) Name in full:

(b) Address:

(c) Telephone No. of the person/association (with STD code):

(d) e-mail address of the person/association:

(e) official Website address, if any:

(f) Telephone and mobile (with STD code) of the chief functionary:

2. Details of registration:

(a) Name of the Act (*i.e* the Societies Registration Act, 1860, the Indian Trust Act, 1882, the Companies Act, 1956 / the Companies Act, 2013) under which the person/association is registered:

(b) Number, date and place of registration:

(self-certified copy of the registration certificate to be enclosed):

(c) PAN (Permanent Account Number) of the person/association:

3. Nature of person/association:

a. religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social

**Note :** If a religious person/association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.

4. Main aim and object of the person/association

(enclose self-certified copy of relevant pages of the memorandum of Person/association and/or the articles of person/association, showing aims and objects of person/association):

5. (a) Details of all office bearers or directors or other key functionaries of the person/association:

Name	Name of father/spouse	Nationality	Aadhaar number	PAN	Occupation	Designation in the person/association	Relationship with other member of the executive council / governing body / office bearers	Contact details: Office address; residential address; e-mail address; landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(b) If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof:

Name	Date and place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI card number, if any	If resident in India, date From which Residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

6. Amount of fee paid (Rs.):

7. Whether any current office bearers or directors or other key functionaries of the person/association has, in the discharge of his official functions or private conduct:

(a) been convicted by any court of law:

(b) under prosecution for any offence pending against him:

(c) been found guilty of diversion or misutilisation of funds of the Person/association or any other person/association in the past:

(d) has been prohibited from accepting foreign contribution:

(e) is a current key functionary of any other person/association:

(f) is a current key functionary of any other person/association against whom an order under sections 13 or 14 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has been passed:

**Note:** If any of the replies to (a) to (f) above is “yes”, then full details of the case must be given:

8. Whether the applicant person/association:

- (a) is a branch / unit / associate of a foreign based organisation or another person/association already registered or granted prior permission under the Act. If so, name, address of the organisation and registration number/ prior permission number and date:
- (b) attracts section 10 of the Act and if so, details of the order passed by the Central Government under sub-section (3) of section 11 of the Act:
- (c) has been directed in terms of clause (d) of section 9 of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:
- (d) had earlier been proceeded against as per provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if so, the details thereof:

9. Details of FCRA bank account for receipt of foreign contribution:

Name of the Bank	Branch address (with PIN code)	e-mail	IFSC Code	Account Number	Date of account opening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
State Bank of India	New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi-110001.		SBIN0000691		
Another “FCRA Account”, if any					

10. (i) (a) If granted prior permission in past to receive foreign contribution, number and date of sanction:

(b) Date of submission of yearly accounts thereof:

(ii) Whether:

- (a) the person/association has received foreign contribution without prior permission in the past. If so, furnish full particulars:
- (b) said violation has been condoned/ compounded by the Central Government, if so, the number and date of the relevant order:
- (c) Person/association has been prohibited from accepting foreign contribution, if so, details thereof:

11. Whether:

- (i) the person/association had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so details thereof:
- (ii) the person/association had applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so, details thereof:
- (iii) the person/association has close links with any another person/association, or its unit or branch, which has been:
  - (a) refused registration / prior permission:
  - (b) prohibited from accepting foreign contribution:
  - (c) suspended or whose registration has been cancelled:
  - (d) if answer to any of (a) to (c) is yes, please give full particulars

12. Details of commitment of foreign contribution from donor:

Nature of the foreign contribution	Value (including name of currency)	Name of the project/ Activity; address of implementation with brief details of the project and budget break-up	Purpose (Cultural/ economic/ educational/ religious/ social)
(1)	(2)	(3)	(4)

13. Details of foreign source(s) from which the foreign contribution is proposed to be received:

Name of foreign source	Office address; official e-mail address	In case of individual donor		
(1)	(2)	(3)		
		Name of father/ spouse	Nationality and passport number	Occupation

Yours faithfully,

[Name of the chief functionary  
(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]  
(Seal of the person/association)

#### Declaration and Undertaking

(a) I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_, hereby declare that the information furnished above is true and correct;

(b) I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_, undertake that the receipt of foreign contribution and its utilisation shall not be violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and the rules, notifications or orders issued thereunder from time to time;

(c) I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_, hereby certify that the office bearers and key functionaries and members fulfill all the eligibility criteria laid out in sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and an affidavit executed by each office bearer and key functionary and member in Proforma 'AA' is uploaded with this application form.

Place:

Date:

[Name of the chief functionary  
(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]  
(Seal of the Organisation/Person/association)

#### FORM FC – 3C

(See sub-rule (2) of rule 12)

No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

**Darpan ID** \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,  
Foreigners Division (FCRA Wing)  
New Delhi-110002

**Subject: Application for 'renewal' under section 16 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for the acceptance of foreign contribution by an person/association having definite cultural, economic, educational, religious or social programme:**

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_, as an individual/ Hindu undivided family / person/association / company registered under Companies Act 1956 / Companies Act, 2013, furnish the following details and apply for approval of the Central Government for Renewal of registration certificate granted under sub-section (1) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

1. Details of the applicant/person/association:
  - (a) Name in full:
  - (b) Address:
  - (c) Telephone number of the person/association (with STD code):
  - (d) e-mail address of the person/association:
  - (e) official website address, if any:
  - (f) Telephone and mobile (with STD code) of the chief functionary:
2. Details of registration:
  - (a) Name of the Act (*i.e* the Societies Registration Act, 1860, the Indian Trust Act, 1882, the Companies Act, 1956 / Companies Act, 2013) under which the person/association is registered:
  - (b) Number, date and place of registration:  
(Self-certified *copy of the registration certificate to be enclosed*):
  - (c) PAN (Permanent Account Number) of the person/association:
  - (d) Foreign Contribution (Regulation) Act registration number and date (in case of renewal) – copy of certificate to be enclosed:
  - (e) Amount of foreign contribution received during last three financial years:-

Sl. No.	Financial Year	Amount (Rs)
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

3. Nature of person/association:
  - (a) religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social

*Note: If a religious person/association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.*
4. Main aim(s) and object(s) of the person/association:  
(*enclose self-certified copy of relevant pages of the memorandum of person/association and/or the articles of person/association, showing aims and objects of person/association*):
5. (a) Details of all office bearers or directors or other key functionaries of the person/association:

Name	Name of father/spouse	Nationality	Aadhaar Number	PAN	Occupation	Designation in the Person/association	Relationship with other member of the executive council / governing body / office bearers	Contact Details: Office address; residential address; e-mail address; landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

- (b) If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof:



Name	Date and place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI Card Number, if any	If resident in India, date from which residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(c) Details of changed key functionaries on account of addition/ deletion/ removal/ resignation/ death etc., vis-à-vis the original application: -

Name	addition/ deletion/ removal/ resignation/ death etc.	Effective date	Reasons	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. Amount of fee paid (Rs.):

7. Whether any current office bearers or directors or other key functionaries of the person/association has, in the discharge of his official functions or private conduct:

(a) been convicted by any court of law:

(b) under prosecution for any offence pending against him:

(c) been found guilty of diversion or mis-utilisation of funds of the Person/association or any other Person/association in the past:

(d) has been prohibited from accepting foreign contribution:

(e) is a current key functionary of any other person/association:

(f) is a current key functionary of any other person/association against whom an order under sections 13 or 14 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has been passed:

**Note:** If any of the replies to (a) to (f) above is "yes", then full details of the case shall be given.

8. Whether the applicant person/association:

(a) is a branch / unit / associate of a foreign based organisation or another person/association already registered or granted prior permission under the Act. If so, name, address of the organisation and registration number/ prior permission number and date:

(b) attracts section 10 of the Act and if so, details of the order passed by the Central Government under sub-section (3) of section 11 of the Act:

(c) has been directed in terms of clause (d) of section 9 of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:

(d) had earlier been proceeded against as per provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if so, the details thereof:

9. (a) Details of "FCRA Account" for receipt of foreign contribution:

Name of the Bank	Branch address (with PIN code)	e-mail	IFSC Code	Account Number	Date of account opening
------------------	--------------------------------	--------	-----------	----------------	-------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
State Bank of India	New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi-110001.		SBIN0000691		
Another "FCRA Account", if any					

There is no change in the bank details.

*In case of any change, mandatorily intimate by filling FC-6C form.*

9. (b) Details of all utilisation bank accounts for utilisation of foreign contribution (To be filled by applicant applying for renewal of registration):

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	e-mail	IFSC Code	Account No.	Date of opening account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

10. (i) (a) If granted prior permission in past to receive foreign contribution, number and date of sanction:

(b) Date of submission of yearly accounts thereof:

(ii) Whether:

- (a) the person/association has received foreign contribution without prior permission in the past. If so, furnish full particulars:
- (b) said violation has been condoned/ compounded by the Central Government, if so, the number and date of the relevant order:
- (c) the person/association has been prohibited from accepting foreign contribution, if so, details thereof:
- (d) the person/association has earlier been suspended/cancelled, if so, details thereof:
- (e) the person/association has earlier been refused renewal:

11. Whether:

- (i) the person/association had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so details thereof:
- (ii) the person/association had applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in the past, and if so, details thereof:
- (iii) the person/association has close links with any another person/association, or its unit or branch, which has been:
- (a) refused registration / prior permission:
- (b) prohibited from accepting foreign contribution:
- (c) suspended or whose registration has been cancelled:

(d) if answer to any of (a) to (c) is yes, please give full particulars:

Yours faithfully,

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) in block letters]

(Seal of the person/association)

### Declaration and Undertaking

(a) I/ We (name of person/association)\_\_\_\_\_ hereby, declare that the information furnished above is true and correct;

(b) I/ We (name of person/association)\_\_\_\_\_ undertake that the receipt of foreign contribution and its utilisation shall not be violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and the rules, notifications or orders issued thereunder from time to time;

(c) I/ We (name of person/association)\_\_\_\_\_ hereby certify that the office bearers and key functionaries and members fulfil all the eligibility criteria laid out in sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and an affidavit executed by each office bearer and key functionary and member in Proforma 'AA' is uploaded with this application form.

Place:

Date:

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) in block letters]

(Seal of the Organisation/Person/association)

### FORM FC – 4

[See rule 17]

Darpan ID \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

Major Dhyan Chand National Stadium, India Gate, New Delhi-110002

Subject: Account of Foreign Contribution (FC) for the year ending on the 31st March \_\_\_\_\_

1. (a) Name and address of person/association

(b) FCRA registration/ prior permission number and date:

2. Details of receipt of foreign contribution:

(i) Foreign Contribution received in cash/ kind (value):

(a) Brought forward foreign contribution at the beginning of the year (Rs.):

(b) Income during the year\*:

(i) Interest:

(ii) Other receipts from projects/activities:

Sl. No.	Name and location of project/ activity	Year of commencement of the project / activity	Income during the year (Rs.)
1			
<b>Total</b>			

(c) Foreign contribution received from foreign source during the financial year (Rs.):

(d) Total foreign contribution (a+b+c) (Rs.):

\* *i.e.* interest accrued on foreign contribution, or any other income derived from foreign contribution, e.g. sale proceeds from assets created from foreign contribution, or interest thereon during the year, income from projects/activities.

(ii) (a) Donor wise detail of foreign contribution received:

Sl. No.	Name of donor(s)	Institutional / individual	Details of the donor: official address; e-mail address; website address;	Purpose for which received (social, cultural, educational, economic, religious)	Speci activi proje	Amount Rs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(b) Cumulative purpose-wise (social, cultural, educational, economic, religious) amount of all foreign contribution donations received:

3. Details of utilisation of foreign contribution:

(a) Details of activities/projects for which foreign contribution has been received and utilised (in rupees)

Sl. No.	Name of project/ activity	Address/ location	Previous balance		Receipt during the year		Utilised		Balance	
			in cash	in kind	in cash	in kind	in cash	in kind	in cash	in kind
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(i) Utilisation\*\* for projects as per aims and objectives of the person/association (Rs.):

(ii) Administrative expenses as provided in rule 5 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 (Rs.):

(iii) Total utilisation of foreign contribution (Rs.) (i+ii):

\*\* It is affirmed that the utilisation of foreign contribution is not in contravention of the provisions contained in the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and more particularly in section 9 and section 12 of the Act which, *inter-alia*, states that the acceptance of foreign contribution is not likely to affect prejudicially:

- (A) the sovereignty and integrity of India; or
- (B) the security, strategic, scientific or economic interest of the State; or
- (C) the public interest; or
- (D) freedom or fairness of election to any Legislature; or
- (E) friendly relations with any foreign State; or
- (F) harmony between religious, racial, social, linguistic or regional groups, castes or communities.

(b) Details of purchase of fresh assets included in Para 3(a) above:

Sl. No.	Name of project/activity	Details of fresh assets	Objective of acquiring fresh assets	Cost of fresh assets (In Rs.)
			Total	

(c) Foreign contribution transferred to other person/associations before 29.09.2020 (with effect from the operation of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020):

Sl. No.	Name of the person/association	Date	Purpose	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Total			

(d) Total utilisation in the year (Rs.) (a+c):

4. Details of unutilised foreign contribution:

(i) Total foreign contribution invested in term deposits (Rs.):

Sr. No.	Details	Total (in Rs.)
(a)	Opening Balance of FD	
(b)	FD made during the year	
(c)	Less: realisation of previous FD	
(d)	Closing balance of FD	

(ii) Balance of unutilised foreign contribution, in cash/bank, at the end of the year (Rs):

(a) Cash in hand:

(b) in FC designated bank account:

(c) in utilisation bank account(s):

(d) total Rs.(a+b+c):

(iii) Total unutilised foreign contribution (Rs.) (i+ii):

5. Details of foreigners as key functionary/working/associated:

6. Details of land and buildings remained unutilised for more than two years:

Sl. No.	Location of land and building	Year of acquisition	Purpose of acquisition	Reason of unutilisation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. (a) Details of "FCRA Account" for receipt of foreign contribution (As on 31<sup>st</sup> March of the year ending):

Name of the Bank	Branch address (with PIN code)	Phone number	e-mail	IFSC Code	Account Number	Date of account opening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
State Bank of India	New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi-110001.			SBIN0000691		

(b) Details of another "FCRA Account", if any, for keeping or utilising foreign contribution (As on 31<sup>st</sup> March of the year ending):

Name of the Bank	Branch address (with PIN code)	Phone No.	E-mail	IFSC Code	Account number	Date of opening account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- (d) Details of all utilisation bank accounts (if any) for utilisation of the Foreign Contribution (As on the 31<sup>st</sup> March of the year ending):

Name of the Bank	Branch address (with PIN code)	Phone No.	e-mail	IFSC Code	Account number	Date of opening account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8. \*Whether during the period under report:

- |        |  |     |    |
|--------|--|-----|----|
| (i)    | any foreign contribution was transferred to any FCRA registered association?   | Yes | No |
| (ii)   | any foreign contribution was transferred to any Non FCRA registered association?   | Yes | No |
| (iii)  | any functionary of the Association has been prosecuted or convicted under the law of the land?   | Yes | No |
| (iv)   | any asset created out of foreign contribution is registered in names other than the name of Association?   | Yes | No |
| (v)    | any domestic contribution has been credited in any "FCRA Account"?   | Yes | No |
| (vi)   | the Association has received any foreign Contribution in an account other than the designated FCRA receipt Account?  | Yes | No |
| (vii)  | the Association has utilised foreign contribution for any purpose other than the defined purposes in the FCRA certificate of registration or prior permission? | Yes | No |
| (viii) | the Association has invested any foreign contribution in any speculative activity as defined in rule 4 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011?   | Yes | No |
| (ix)   | the Association or any of its functionary/office bearer has violated any of the conditions as enumerated under sub-section (4) of section 12 of the Act?       | Yes | No |
| (x)    | the Association has made expenditure on Administrative expenses exceeding 20 per cent. of the foreign contribution received?                                   | Yes | No |
| (xi)   | any fixed asset acquired out of foreign contribution has been sold out?  | Yes | No |
| (xii)  | sale proceed of above fixed asset has been diverted/ has not been deposited in "FCRA Account"?   | Yes | No |
| (xiii) | any FD proceeds has been credited in any account other than the "FCRA Account"?  | Yes | No |
| (xiv)  | any organization/entity not belonging to the Association is being managed/financially supported by the Association?  | Yes | No |
| (xv)   | the Association has utilised any foreign contribution outside India?   | Yes | No |

\* Note: Wherever the answer of above question is in 'yes', brief details must be provided.

**Declaration**

I/We (person/association)\_\_\_\_\_ hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

I also affirm that the receipt of foreign contribution and its utilisation have not been violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), and the rules, notifications or orders issued thereunder from time to time and the foreign contribution was utilised for the purpose(s) for which the person/association was granted registration/ prior permission by the Central Government.

Place:

Date:

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) in block letters]

(Seal of the person/association)

**Certificate to be given by Chartered Accountant**

I have audited the account of \_\_\_\_\_ (*name of person/association and its full address including State, District and Pin Code, if registered society, its registration number and State of registration*) for the financial year ending the 31<sup>st</sup> March \_\_\_\_\_ and examined all relevant books and vouchers and certify that according to the audited account:

- (i) the brought forward foreign contribution at the beginning of the financial year was Rs. \_\_\_\_\_;
- (ii) foreign contribution of / worth Rs. \_\_\_\_\_ was received by the person/association during the financial year \_\_\_\_\_;
- (iii) interest accrued on foreign contribution and other income derived from foreign contribution or interest thereon of/worth Rs. \_\_\_\_\_ was received by the person/association during the financial year \_\_\_\_\_;
- (iv) the balance of unutilised foreign contribution with the person/association at the end of the financial year \_\_\_\_\_ was Rs. \_\_\_\_\_;
- (v) certified that the person/association has maintained the accounts of foreign contribution and records relating thereto in the manner specified in section 19 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) read with rule 17 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.
- (vi) the information in this certificate and in the enclosed balance sheet and statement of receipt and payment is correct as checked by me/us.
- (vii) the person/association has utilised the foreign contribution received for the purpose(s) it is registered/ granted prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

Place:

Date:

Signature of chartered accountant

(Seal, address and registration number)

**FORM FC-6A****[See rule 9 and 17A]**

Darpan ID \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India,

Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

Major Dhyan Chand National Stadium,

India Gate, New Delhi-110002

Subject: Intimation under rule 9 and rule 17 A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 to the Central Government regarding Change of *name / address* in respect of the person/association granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):

Sir,

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ as an individual/ person/association/ company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

**Change of name and/ or address of the Person/association**

1. FCRA registration/ prior permission number and date of the person/association:
2. Official telephone number of the person/association:
3. E-mail address of the person/association:
4. Telephone/ mobile number of the chief functionary of the person/association:

(To be filled by applicant giving intimation regarding change of name and/ or address of the person/association)

- (i) Amended/ changed name of the person/association as recorded with local/ relevant authority:
- (ii) Amended/ changed address of the person/association as recorded with local/ relevant authority:

(Self-certified copy of amendment approved by local/relevant authority to be enclosed)

I/We (Name of person/association) \_\_\_\_\_ hereby affirm that the information furnished above is true and correct and:

- (a) Change of name and/ or address of the person/association has been duly recorded with the concerned registering authority:
- (b) The resolution of the governing body has been passed before effecting the changes:
- (c) None of the key members has been appointed in violation of sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(strike out whichever is not applicable).

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the person/association)

**FORM FC-6B**

[See rule 9 and 17A]

**Darpan ID** \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

New Delhi-110002

**Subject : Intimation under rule 9 and rule 17 A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 to the Central Government regarding Change of nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities in respect of the person/association granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):**

Sir,

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ as an individual/ person/association/ company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

**Change of nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities in respect of the person/association for which registration/ prior permission granted under the above Act**



1. FCRA Registration/ prior permission number and date of the person/association:
2. Official telephone number of the person/association:
3. e- mail address of the person/association:
4. Telephone/ mobile number of the chief functionary of the person/association:

(To be filled by applicant giving intimation regarding Change of nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities in respect of the person/association which are granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010)

New nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities:

- (i) Amended/changed nature of the person/association:
- (ii) Amended/changed aims and objects of the person/association:
- (iii) Amended/changed registration No. with local/relevant authorities:

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ hereby affirm that the information furnished above is true and correct; and

- (a) The resolution of the governing body has been passed before effecting the changes:
- (b) Change of nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities of the person/association has been duly recorded with the concerned registering authority:
- (c) None of the key members has been appointed in violation of sub-section (4) of section 12 of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(strike out whichever is not applicable)

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the person/association)

#### FORM FC-6C

[See rule 9 and 17A]

**Darpan ID** \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,  
Foreigners Division (FCRA Wing)  
New Delhi-110002

**Subject : Intimation under rule 9 and rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 of the designated "FCRA Account" in the State Bank of India, New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi and change of another "FCRA Account" of choice, if any, under section 17 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) in respect of the person/association granted registration/prior permission under the Act.**

Sir,

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ as an individual/ person/association/ company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

- (i) Intimation of the designated "FCRA Account" in the State Bank of India, New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi under section 17 of the Act; OR
- (ii) Change of another "FCRA Account" of choice, if any, under section 17 of the Act.

1. FCRA registration/ prior permission number and date of the person/association:
2. Official telephone number of the person/association:

3. E-mail address of the person/association

4. Telephone/ mobile number of the chief functionary of the person/association:

(To be filled by applicant giving intimation of the designated “FCRA Account” in the State Bank of India, New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi under section 17 of the Act or change of another “FCRA Account” of choice, if any, under section 17 of the Act)

Details of the designated “FCRA Account” in the State Bank of India, New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi/another “FCRA Account” of choice, if any:

Name of the Bank	Branch address	e-mail	IFSC Code	Account Number	Date of account opening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
State Bank of India	New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi-110001.		SBIN0000691		

(Self-certified copies of letter from the existing bank and the new bank regarding the change to be enclosed)

I/We (name of Person/association) \_\_\_\_\_ hereby affirm that the information furnished above is true and correct; and:

- (a) The resolution of the governing body has been passed before effecting the changes;
- (b) The bank authorities have been duly informed about change in the “FCRA Account”;
- (c) None of the key members has been appointed in violation of section sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(strike out whichever is not applicable)

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) in block letters]

(Seal of the person/association

#### FORM FC-6D

[See rule 9 and 17A]

Darpan ID \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India,

Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

New Delhi-110002

**Subject : Intimation under rule 9 and rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 to the Central Government regarding opening of additional FC-utilisation account in respect of the person/association granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):**

Sir,

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ as an individual/ person/association/ company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

**Opening of additional FC-utilisation Bank Account for the purpose of utilisation of foreign contribution**

1. FCRA registration/ prior permission number and date of the person/association:
2. Official telephone number of the person/association:
3. e-mail address of the person/association:
4. Telephone/ mobile number of the chief functionary of the person/association:

(To be filled by applicant giving intimation of opening of utilisation bank account for the purpose of utilization of foreign contribution)

Name of the Bank	Branch address	e-mail	IFSC Code	Utilisation account number	Date of account opening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ hereby affirm that the information furnished above is true and correct and

- (a) the resolution of the governing body has been passed before opening of additional FC-utilisation account;
- (b) the Bank authorities have been duly informed about opening of additional FC-utilisation account;
- (c) none of the key members has been appointed in violation of sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).

(strike out whichever is not applicable)

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the person/association)

**FORM FC-6E**

[See rules 9 and 17A]

Darpan ID \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India,\

Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

New Delhi-110002

**Subject : Intimation under rule 9 and rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 to the Central Government regarding Change in *key members* in respect of the person/association granted registration/ prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):**

Sir,

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ as an individual/ person/association/ company hereby submit the following intimation as required under rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

1. FCRA registration/ prior permission number and date of the person/association:
2. Official telephone number of the person/association:

3. e-mail address of the person/association:
4. Telephone/ mobile number of the chief functionary of the person/association:

(To be filled by applicant giving intimation regarding change the original key members of the person/association)

Details of all the key members of the person/association after change the original key members, as reported in the application for grant of registration/prior permission/renewal of registration of the person/association under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010:

Name	Name of father/spouse	Nationality	Aadhaar Number	PAN	Occupation	Designation in the person/association	Relationship with other member of the executive council / governing body / office bearers	Contact Details: Office address; residential address; e-mail address; landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof:

Name	Date and place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI Card Number, if any	If resident in India, date From which residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ hereby affirm that the information furnished above is true and correct; and

- (a) the resolution of the governing body has been passed before effecting the changes;
  - (b) none of the key members has been appointed in violation of sub-section (4) of section 12 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).
- (strike-out whichever is not applicable)

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) *in block letters*]

(Seal of the person/association).

**FORM FC – 7**

[See rule 15 A]

Darpan ID \_\_\_\_\_

The Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs,

Foreigners Division (FCRA Wing)

New Delhi-110002

Subject: Application for surrender of certificate of registration.

Sir,

I/We (name of person/association)\_, on behalf of the person/association\_\_\_\_\_ apply for surrender of certificate of registration to the Central Government under section 14A of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) as per details given below:

1. FCRA registration number\_\_\_\_\_
2. a. Details of the person/association):
  - (i) Name in full:
  - (ii) Contact details
    - (a) Address:
    - (b) Official telephone number of the person/association (with STD code):
    - (c) Official e-Mail address:
    - (d) Landline/mobile telephone number of the chief functionary (landline with STD code):

(iii) PAN (Permanent Account Number) of the person/association:

(iv) Aadhaar Number of chief functionary:

b. Details of registration, in any of person/association:

(i) Name of the Act (*i.e* the Societies Registration Act, 1860 or the Indian Trust Act, 1882 or the Companies Act, 1956/ the Companies Act, 2013) under which the person/association is registered:

(ii) Registration number, date and place of registration:

(self-certified copy of the registration certificate to be enclosed)

c. "FCRA Account" details of the person/association:

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	e-mail	IFSC Code	Account No.	Date of account opening
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SBI, New Delhi				
2.	Another "FCRA Account", if any				
3.	Utilisation account (if any)				
4.					
5.					

3. I/We (name of person/association) \_\_\_\_\_ hereby declare that the information furnished above is true and correct. I/We (Name of person/association) \_\_\_\_\_ also affirm that no accounts other than those mentioned above has been opened for receipt and utilisation of foreign contribution.

[Name of the chief functionary

(Chairperson/President/Secretary/CEO/MD) in block letters]

(Seal of the Person/association)

Place:

Date:”

[F. No. II/21022/23(12)/2020-FCRA-III]

SANTOSH SHARMA, Director

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 349(E), dated the 29<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended *vide* G.S.R. 292 (E), dated the 12<sup>th</sup> April, 2012, G.S.R. 966 (E), dated the 14<sup>th</sup> December, 2015, G.S.R. 199 (E), dated the 7<sup>th</sup> March, 2019 and G.S.R. 659 (E), dated the 16<sup>th</sup> September, 2019.